[Shri Ramavatar Shastri]

They should have been informed earlier.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: This is my submission to the hon. Deputy-Speaker.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will consult you on Monday.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Suppose we dispense with Lunch hour. Today we will have to decide.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: No, no. It cannot be decided today.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Lunch Hour we can dispense with.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can contact the leaders of the Opposition and on Monday you can discuss with them. You contact them, you speak to them and convince them and then we will decide.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): The Minister of State will reply.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The point is that the Finance Minister will be there on Monday and he will have to go abroad on Tuesday.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: No, no. Everything cannot be finished by Monday.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will see. On Monday you will contact them.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Yes, on Monday we will decide.

15.33 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

TWENTY-SECOND REPORT

SHRI Y. S. MAHAJAN (Jalgoan): I beg to move:

> "That this House do agree with the Twenty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd April, 1981."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Twenty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd April, 1981."

The motion was adopted.

15.34 hrs.

RESOLUTION *RE*. DEVELOPMENT OF HILLY REGIONS—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we resume further discussion on the following Resolution moved by Prof. Narain Chand Parashar on 27th March, 1981:

> "This House urges upon the Government to set up a Parliamentary Committee to look into the extremely slow pace of industrial development and lack of adequate infrastructure like railway lines, roads, waterways, airways, bridges and other amenities like postal services, telecommunications, drinking water, banking and health services, institutions for technical and vocational education and the promotion of tourism, hydel-generation, forestry, agriculture including horticulture, irrigation, mass communication system in the hilly regions of the country, resulting in their extreme backwardness and to suggest ways and means to ensure their rapid economic development so as to bring them at par with the developed regions of the country within a period of five years."

Four hours have been allotted for this and already 3 hours and 15 minutes have been spent on this and I have got a balance of only 45 minutes. There are about 32 hon. Members

who are yet to speak. Many of them may be absent also. What is the sense of the House?

SHRI Y. S. MAHAJAN (Jalgaon): Everybody should get a chance to speak. So, time should be extended for discussion on this Resolution by one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House to extend the time for discussion on this Resolution by one hour?

SEVERAL HON MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Mr. Virbhadra Singh may speak.

श्री वीरभद्र सिंह (मंडी) : मेरे माननीय मित्र श्री पाराशर जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उन्होंने इस प्रस्ताव के जरिए इस माननीय सदन और इस के द्वारा देश का ध्यान पहाड़ों और पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया है। आजादी के तीस वर्ष के बाद भी वे पिछड़े हुए हैं, गरीबी के बोझ से लदे हुए हैं। पहाड़ पर रहने वाले लोग चाहे वे देश के किसी भी भाग में हों कृषि पर निर्भर करते हैं। पहाड़ों पर कोई बड़-बड़े उद्योगधंधे नहीं हैं, इसलिए वहां के लोग अधिकांशत: कृषि पर ही अपना गुजरबसर करते हैं।

15.35 hrs.

[SHRI HARINATHA MISRA *in the chair*]

पहाड़ों में कृषि योग्य भूमि पर्याप्त न होने के कारण वहां पर लोगों के पास बहुत कम जमीन है। इस प्रकार किसी भी परिवार को अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण करना संभव नहीं है। इसी कारण आप पायेंगे कि पहाड़ों से बहुत बड़ी संख्या में लोग मैदानी इलाकों में रोजगार कमाने के लिए आते है, चाहे वह उत्तर प्रदेश के पहाड़ हों, हिमाचल के या जम्मू-काश्मीर के हों। वहां से हजारों की तादाद में लोग दिल्ली बम्बई, लखनऊ और दूसरे मैदानी क्षेत्रों में रोजगार के लिये आते हैं।

आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल दिल्ली में ही हिमाचल प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। आप खुद इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों की क्या समस्या है। इसके अतिरिक्त थोड़े से लोग पशु-पालन भेड़-बकरियों को पालकर भी अपना गुजर-बसर करते हैं। यह समस्या आज पहाड़ों की है।

इसमें कोई शक नहीं कि आजादी के बाद हमारे देश में प्रगति की एक नई लहर शुरु हुई, सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा सरकार ने प्रभावशाली कदम उठाए, देश का नक्शा बदला और उसका असर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भी हुआ। मैं यह नहीं कहूंगा कि आजादी के बाद पहाड़ी क्षेत्रों की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया गया, या पहाड़ी क्षेत्रों की कोई तरक्की नहीं हुई। अगर हम यह कहेंगे तो इसमें बिल्कुल सचाई नहीं होगी, मगर प्रश्न यह है कि जिस तेजी के साथ और जिस प्रकार से पहाड़ों की तरक्की होनी चाहिये थी, वह तरक्की नहीं हो पायी है और उसके कई कारण हैं, मैं समझता हूं कि जहां पहाड़ के लोग भारत सरकार और हमारे देश के जो प्लानर्स हैं, उनके आभारी हैं कि उन्होंने पहाड़ की तरक्की की ओर ध्यान दिया है वहां हम इस बात को समझते हैं कि पहाड़ की समस्याओं और पहाड़ की जो डिफिकल्टीज हैं, उनकी ओर हमारे प्लानर्स का या हमारी सरकार

[श्री वीरभद्र सिंह]

का विशेष ध्यान नहीं गया है। वहां की समस्याओं का यह ठीक प्रकार से मूल्यांकन नहीं कर पाये, वहां की हमारी जो एस्पीरेशन्स हैं, डिफिकल्टीज हैं उनको ठीक तरह से वह समझ नहीं पाये।

उसका कारण यह है कि अभी जो देश के अन्दर प्लैन्स बनती हैं, वह सारे मुल्क के लिये एक ही प्लैन बनती है, वह चाहे मैदानी इलाका हो, पहाड़ी हो या मरुस्थल हो। सारे देश के लिए एक प्लैन बनती है और उस प्लैन में पहाड़ों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक विषमताएं हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिये एक प्लैन अगर मैदानी इलाके के लिये अच्छी हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह पहाड़ी इलाके के लिये भी अच्छी हो। इसी तरह से कोई प्लैन अगर पहाड़ों के लिये अच्छी हो तो जरूरी नहीं है कि वह मैदानों के लिये भी अच्छी हो।

प्लैन जिस स्थान के लिये बनाई जाती हैं, वहां की समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। आज तक पहाड़ के आगे न बढ़ने का कारण यह है कि हमारे लिये प्लैन इस प्रकार बनाई गई जो कि पहाड़ों की समस्याओं, वहां की भौगोलिक और दूसरी समस्याओं की मालूमात उनको नहीं होती थीं। इसलिये मैं समझता हूं कि सबसे पहला काम यह होना चाहिये कि हमारी प्लैन्स जो पहाड़ों के लिये बनती हैं, उनमें परिवर्तन होना चाहिये। उन प्लैन्स को बनाने के तरीके में परिवर्तन होना चाहिये और जो योजनाएं पहाड़ों के लिये बनें, उसके लिये योजना आयोग में एक अलग प्लैनिंग सैल होना चाहिये जिसमें वह लोग रहने चाहिये जिनको पहाड़ों की समस्याओं के बारे में कुछ मालूमात हों, जो वहां की समस्याओं को समझते हों, वहां की गरीबी और आर्थिक विषमताओं को समझते हों। अगर ऐसे लोग बैठकर प्लान बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि उस प्लैन से पहाड़ों को आगे ले जाने के लिये ज्यादा फायदा हो सकता है।

सभापति महोदय, आप इस बात को मानेंगे कि किसी भी पिछड़े हुए क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए यातायात के साधन होना बहुत आवश्यक है। मेरा अनुभव है कि यदि हमने किसी भी पहाड़ी क्षेत्र या पिछड़े हुए क्षेत्र को आगे ले जाना है, तो सब से पहले दो बातों का प्रबन्ध करना चाहिए : एक, शिक्षा का और दूसरे, यातायात का। जब किसी भी क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हो और यातायात के साधनों की व्यवस्था हो, तो वह क्षेत्र अपने आप तरक्की करने लगेगा।

सभापति महोदय : आप बिजली को क्यों छोड़ रहे हैं ?

श्री वीरभद्र सिंह : ऐसी बहुत सी आवश्यकताएं हैं, लेकिन सब से पहले यातायात के साधनों का होना जरूरी है। अगर किसी क्षेत्र में यातायात के साधन नहीं होंगे, तो वहां बिजली भी नहीं पहुंच सकती है—हम वहां ट्रांसफ़ार्मर और दूसरी हैवी मशीनरी नहीं ले जा सकते हैं। इस लिए किसी भी पहाड़ी क्षेत्र और पिछड़े हुए क्षेत्र में यातायात के साधनों की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है और उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। और क्षेत्रों के लिए चाहे कोई भी प्रायर्टीज हों, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की तरक्की के लिए टाप प्रायर्टी सड़कों और रेल लाइनों के निर्माण, यातायात के साधनों और संचार व्यवस्था के विस्तार को देनी चाहिए।

इसमें कोई शक नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा बहुत सड़कें है, लेकिन फिर भी एसे बहुत से क्षेत्र है, जहां सड़कें नहीं बन पाई हैं। वहां के लिए जो सड़कें बनती हैं, उनमें, पहाड़ों पर सड़कें बनाने में जो कठिनाइयां उत्पन्न होती है और जो खर्चा होता है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। मैदानी इलाके में सड़कें कम रकम से बनाई जा सकती है, लकिन पहाड़ में उतनी ही लम्बी सड़क बनाने के लिए ज्यादा धन व्यय करना पड़ता है वहां पर पत्थर काटने पड़ते हैं—राक-कटिंग करना पड़ता है। वहां का टेरेन इतना मुश्किल है कि सड़क बनाने पर ज्यादा खर्च होता है।

सभापति महोदय : लेकिन वे सड़कें स्थायी होती है।

श्री वीरभद्र सिंह : स्थायी तो होती है, लेकिन जो रुपया दिया जाता है, उससे उस मात्रा में सड़कें नहीं बनने पाती है, जिस मात्रा में बननी चाहिए। इसलिए योजना आयोग और योजना मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वे पहाड़ों पर सड़कों के लिए रुपया लिबरली दें, और मैदानी इलाकों में सड़कों के लिए जिस अनुपात में पैसा दें उससे ज्यादा पैसा पहाड़ों में सड़क बनाने के लिए दें।

सभापति महोदय : क्या आपका कहना यह है कि उन्हें जितना उदार होना चाहिए, उतने उदार वे नहीं है।

श्री वीरभद्र सिंह : रुपया देने का तरीका भी बदलना चाहिए।

जहां तक रेलों का सम्बन्ध है, श्री पराशर और दूसरे साथियों ने अपने भाषणों में इस पर काफी रोशनी डाली है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, मैं नहीं समझता कि आजादी के बाद उनमें से किसी भी क्षेत्र में रेलों का विस्तार हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वहां का मुझे अनुभव है—कि आजादी के बाद इन 34 वर्षों में वहां पर एक किलोमीटर भी नई रेलवे लाइन नहीं बनी है इसका कारण यह नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने रेलों के लिए मांग नहीं की है। मुझे भी 1962 से इस माननीय सदन में बैठने का सौभाग्य मिला तब से मैं देख रहा हूं कि मुतवातिर हर सत्र में हिमाचल प्रदेश और दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों के माननीय सदस्य रेलों के बारे में मांग करते आए हैं।

सभापति महोदय : शायद जोर लगाने में कुछ कमी रह गई है।

श्री वीरभद्र सिंह : आपके माध्यम से, और इस माननीय सदन के माध्यम से आज हम और ज्यादा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि बावजूद हमारी कोशिशों के अभी तक नई रेलों का विस्तार नहीं हुआ। अभी जब रेलवे बजट आया था तो रेल मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया था कि नांगल तलवाडा रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया जायगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि रेलवे लाइन को हम बनाएंगें हमारे बहुत जोर देने के बाद इस बात का आश्वासन दिया कि इस का सर्वेक्षण किया जायगा। तो मैं तो उन से यहीं प्रार्थना करूंगा कि वह न केवल इस का सर्वेक्षण करें बल्कि इस रेलवे लाइन पर शीघ्रातिशीघ्र काम चालू करवाने और इस को कम्पलीट करने का भी काम करें........

सभापति महोदय : सर्वेक्षण के पहले ही।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : नहीं नहीं, सर्वेक्षण हो चुका है।

श्री वीरभद्र सिंह : मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ नंगल तलवाड़ा रेलवे लाइन बनाने से ही हिमाचल प्रदेश की रेलवे की समस्या का हल होने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि नारायण चन्द जी तो बहुत खुश होंगे अगर नंगल तलवाड़ा लाइन ही बन जाय। उससे इन्हें प्रसन्नता होगी क्योंकि इस रेलवे लाइन का अधिकांश भाग उन के क्षेत्र से होकर जाता है। हमें भी खुशी है कि यह बने और इस के लिए हम भी पूरी कोशिश कर रहे है हम आज भी प्रार्थना करेंगे कि इस को बनाया जाना चाहिए लेकिन इस के अतिरिक्त और भी दूसरी रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश के अंदर बनायी जानी चाहिए जैसे कालका-परमाणु है, जगाधारी से पौंटा साहब है, जोगेन्दर नगर से मंडी तक की रेलवे लाइन है, ये लाइनें जो कि हिमचल के दूसरे भागों में पड़ती है इन की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं जंगलात के मामले में कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि सब से बड़ी दौलत जंगलात है लेकिन आज जिस बेरहमी से पहाड़ों के वन कट रहे है उस से न केवल पहाड़ के क्षेत्रों को नुकसान होगा बल्कि सारे देश को नुकसान होगा। आप जानते है हर वर्ष मैदानी इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है और करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। लाखों टन राक सिल्ट पहाड़ों से बह कर मैदानी इलाके में आता है। इस से एक बड़ी भारी समस्या पहाड़ों पर उत्पन्न हो रही है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम पहाड़ों पर जो वन है उन की रक्षा करें और चाहे वह प्राइवेट कांट्रेक्टर के जरिए या और किसी के जरिए जंगल कट रहे है उन के कटने के ऊपर रोक लगाएं। उससे मगर उससे एक प्रश्न पैदा होगा कि राज्य सरकारें कहेंगी कि वन से होने वाली आय हमारी आय का एक प्रमुख साधन है, अगर हम इस को रोक दें तो हमारे विकास कार्य में कठिनाई होगी।

सभापति महोदय : आप ने जितना समय कहा था उतना हो गया।

SHRI VIRBHADRA SINGH: Most of my time was taken away by interruptions from the Chair.

MR. CHAIRMAN: That is the fun in Parliamentary debates. That is part of the game.

SHRI VIRBHADA SINGH: I would only request the Hon. Planning Minister that total ban should be imposed on the cutting of trees in the forests in the hill areas and State Governments should be compensated for the loss of revenue by giving additional grants to them so that the programme to conserve the forests goes on and is not disturbed in any way.

With these words, I wholeheartedly support the resolution moved by my Hon. friend Prof. Narain Chand Parashar and I hope the Government and the Planning Minister will pay attention to the matters.

MR. CHAIRMAN: And the Chair hopes that whenever you move a resolution, he will also equally support it.

श्री राम विलास पासवान : (हाजीपुर) सभापति महोदय . . .

सभापति महोदय : आप कब से पहाड़ के हो गए ?

श्री राम विलास पासवान : अपने यहां तो बहुत पहाड़ हैं। हम लोगों के उत्तर में पहाड़ है, दक्षिण में पहाड़ है।

सभापति महोदय : वे पहाड़ियां हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं सर्व प्रथम मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि इन की रिपोर्ट के मुताबिक ही देखें, हमारे यहां कितने पहाड़ हैं ? आप आंकड़े देखेंगे तो असम में 15,200 स्क्वायर कि० मी० हिल एरिया है, तमिलनाडू में 2,500 स्क्वायर कि० मी० हिल एरिया है, उत्तर प्रदेश में 15,100 स्क्वायर कि० मी० हिल एरिया है, पश्चिम बंगाल में 2,400 स्क्वायर कि० मी० हिल एरिया है और महराष्ट्र केरल, कर्नाटक, गोवा और वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में 134.5 हजार स्क्वायर कि० मी० हिल एरिया है।

अगर आप पापुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो असम के जो हिल एरियाज हैं वहां 4,50 हजार तमिलनाडू, के हिल एरिया में 4,94 हजार, पश्चिम बंगाल में 4,80 हजार और उत्तर प्रदेश के हिल एरियाज में 80,22 हजार की पापुलेशन है। इसी तरह से महाराष्ट्र कर्नाटक, केरल, गोवा और वेस्टर्न घाट में 26.49 मिलियन जनसंख्या है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री कार्तिक उरांव))** : बिहार में क्या है ?

श्री राम विलास पासवान : आप मंत्री हैं, आप बिहार के बारे में बतायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट में बिहार का कहीं जिक्र नहीं है इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि बिहार में हिल एरियाज है या नहीं हैं ? मैंने सारी लाइब्रेरी छान मारी लेकिन बिहार का कहीं जिक्र नहीं है।

अब मैं, जो समस्यायें हैं, उनकी ओर ध्यान खींचना चाहूंगा। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, अभी भी बिहार में एक अलग राज्य की मांग हो रही है—झारखण्ड राज्य की। आप देखेंगे कि वहां छोटा नागपुर का इलाका पहाड़ों से भरा पड़ा है। पहाड़ों की जो समस्यायें दूसरी जगहों पर हैं वहीं समस्यायें यहां पर भी है। दो तीन मेन समस्यायें तो सभी जगह हैं जैसे यातायात, संचार और पावर जेनरेशन की समस्या। जहां तक यातायात का सम्बन्ध है, अभी जैसा हमारे एक साथी बतला रहे थे कि उत्तर प्रदेश में, जहां से माननीय मंत्री जी आते हैं, हिल एरियाज के 8 जिले हैं वहां पर आजादी के बाद एक इंच रेलवे लाइन का भी विस्तार नहीं हुआ है। संचार की भी वही हालत है। हिल एरियाज की जो समस्यायें हैं उनको मैं वे सात एफ्स में इकट्ठा किया है। एक एफ है फूड, दूसरा फाडर, तीसरा फंड, चौथा फुयल, पांचवां फर्टिलाइजर, छठा फिशरीज और सातवां फारेस्ट। यह सात एफ हैं जोकि समस्या से घिरे हैं। इसके अलावा पानी की समस्या है (व्यवधान) चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं सिर्फ प्वाइन्ट्स ही दे रहा हूं। हमारे दोनों मंत्री महोदय जो यहां पर बैठे हैं वे बहुत अनुभवी हैं और ऐसे क्षेत्र से हैं इसलिए हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि क्या समस्यायें हैं और क्या उनका निदान होगा।

मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा, पहले भी कहता रहा हूं कि आपकी जो मशीनरी है जिसके माध्यम से आप इस काम को करना चाहते हैं वह मशीनरी इस समस्या को इग्नोर कर रही है। वह देख कर भी अपनी आंख मूंद लेती है। उसी का आज

[श्री राम विलास पासवान]

जो नतीजा है उसको आप चाहे डिसइंटिग्रेशनटेंडेन्सी कह लें या जन असंतोष कह लें। आपके हथियार कितने भी बड़े क्यों न हों, अगर उनको उठाने के लिए आपके पास हाथ नहीं हैं तो वह हथियार धरे के धरे रह जायेंगे। सन् 1975 में संसद में कानून के द्वारा नार्थ-ईस्टर्न-काउन्सिल की स्थापना की गई थी। पंचम पंचवर्षीय योजना, 1974–75 तक 90 करोड़ रुपया खर्च करने का प्लान था, लेकिन खर्च कितना हुआ 86.67 करोड़ रुपया। आपकी मशीनरी यदि चुस्त-दुरुस्त होती, उसके दिमाग में कुछ काम करने की योजना होती, तो कुछ काम होता। नतीजा यह होता है कि विदेशी मिशनरी आते हैं और वे क्या करते हैं अपने यहां से पैसा लाकर खर्च करते है और हमारे आदमियों को गुमराह किया जाता है, लेकिन हमारे यहां समस्यायें अधिक होने की वजह से पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आपकी मशीनरी सक्षम नहीं है। वह नहीं चाहती है कि ग़रीब लोगों को ऊपर उठायें।

सभापति महोदय : मतलब यह भी हो सकता है कि बहुत सावधानी के साथ खर्च कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : सावधानी के साथ खर्च करें, इसका मतलब यह नहीं है कि वे आदिवासियों का पैसा खर्च हो ही नहीं।

एक एस० पी० ने एक दरोगा की सी० आर० में लिखा कि आई-डु-नाट-वान्ट-आनेस्ट-फूल, लेकिन हमको तेज आदमी भी चाहिए और ईमानदार भी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे विभागों में खूब खर्चा हो और हरिजन-आदिवासियों तथा ट्राइब्ल्स, जहां पर कि समस्यायें ही समस्यायें हैं उन पर पैसा खर्च ही न किया जाए। फिर देखिए, सब-हिमालयन-वैस्टर्न घाट के विकास के लिए पंचम पंचवर्षीय योजना में 170 करोड़ रुपया रखा गया था और खर्च हुआ उसमें से 162.65 करोड़ रुपया। उसमें भी आठ करोड़ रुपया बच गया। अभी इन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना बनाई है और उसमें लक्ष्य 560 करोड़ रु० खर्च करने का रखा गया है। लेकिन यदि उसी अनुपात में खर्चा हुआ, तो विकास नहीं हो सकता है। दूसरे कामों में खर्च किया जाता है, लेकिन आदिवासियों के नाम पर, हिल्ली-एरियाज के नाम पर, तराई के नाम पर, खर्च नहीं होता है। इसलिए मैं सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि आप चिन्तित है, हिल्ली एरियाज का विकास चाहते हैं और सदन भी चाहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, चाहे उस पक्ष के लोग हों या इस पक्ष के लोग हों। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि आप अपनी मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त कीजिए और अधिक से अधिक रुपये का सदुपयोग हो और अधिक से अधिक पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो, यही हम लोगों की भावना है।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव माननीय सदस्य द्वारा विचार करने के लिए पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. A. K. Roy. Please be brief because there are so many members who want to speak.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): You know I seldom speak more. Only one point I like to emphasize in this House, and that is that development of the tribal area does not necessarily

mean development of the tribal people. Here Prof. Parashar deserves only two cheers and not three cheers and the third should be reserved if we can extend the development of the tribal area to the development of the tribal people.

The tribal people are the victims of both non-development and also development. In both ways they lose. In the north-eastern area they are losing. They are languishing because of lack of development. The area from which I come—that is the Chota Nagpur area of Bihar is the most industrialised area. It contains the biggest steel factory like the Bokaro factory, the biggest power complex like the DVC, the biggest fertiliser factory like the Sindhri factory and many other industries You are from that area and you know if you go there in Chota Nagpur, you will find light everywhere. But, Sir, if

16.00 hrs.

you go to the village of the local people, the adivasi people, the hill people, you will not find even light, the lantern. How is it? Water is everywhere but there is not a drop to drink. That is the fallacy.

When I was listening to the speeches of my hon. friends, of course, they were well-intentioned but they failed to cut any ice. They were talking of railway lines. Railways came to Chhotanagpur in 1894. That was just to start the coal business in the Raniganj-Terai complex. What happened was that in that process, the local tribal people, the adivasi people, harijans were weeded out from there. Even the name got changed. The name of the village was Kushtanr and it became Kustere. To-day non-development means a languishing life for them. That is the problem before the tribal people. When the D.V.C. was started, you would be surprised to know that all the good lands were sub-merged, irrigation facilities did not reach the tribal people. There lands became the casualty; they were displaced from there. I come from that area and so I know how Bokaro complex was established. The local people, the tribal people, numbering 5 lakhs or so, were displaced. What are they doing there? They are displacing the tribal people. They become the casualty. Now the development becomes a question even to their very existance. They are now vacillating between the frying pan and fire. Non-development means a languishing life for them. Development means extinction. This is what they are faced with now. They have started Koel Kara project. What is the reaction of the people to this? Their reaction is that this project is not going to serve their interests but somebody else's interests. Whose lands have been taken away—it is the lands of the tribals. They have no water to drink. Are the Government ready to provide employment for these people who have been displaced from their lands?

Only a few days back I went to Dhanbad, my area. There to augment the Panchet Dam they are contemplating to have Tailpool Dam. When I asked the people, they said that they did not want this. For the development work some crores of rupees would be spent. The people do not want this. Some survey people went there for this purpose. They were driven out. Now, it has become a law and order problem. I would like the Planning Commission to know about this. The DVC Chairman, Mr. Luthar says that so many people would be displaced from there, I ask the Minister: Are you ready to rehabilitate them? Are you going to give them employment. Shri Luthar told them when asked that he could not give them employment or even rehabilitate them but he could give them a Club and a football. (*Interruptions*)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) सभापति जी, इस वक्त अगर मैं चाहूं तो इन की स्पीच को भी बीच में रुकवा

[श्री मनीराम बागड़ी]

सकता हूं, क्योंकि कल इन्होंने हमारे मोशन को बीच में रुकवा दिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, इन की तरह से नहीं करवा सकता।

SHRI A. K. ROY: I saved your motion and your prestige also.

SHRI MANIRAM BAGRI: But you raised the question of quorum.

SHRI A. K. ROY: Yes.

SHRI MANIRAM BAGRI: Now I can also do that.

SHRI A. K. ROY: You do it.

SHRI MANIRAM BAGRI: But, I am not like you.

SHRI A. K. ROY: You are like yourself.

SHRI MANIRAM BAGRI: Yes, I am proud of it.

SHRI A. K. ROY: It is good that you are proud of it. This is just a diversion.

What I wanted to emphasise was this. To-day the tribal people in the undeveloped areas are becoming afraid of development. This you must know. The development of the area must become the development of the people. We are developing the area by replacing the people. When development comes to the under-developed area the developed people from the developed area come and displace and submerge the under-developed people. So, they are afraid. That is why in different places all these movements are taking place.

Sir, they are planning not from below—where people are consulted—but from the top. We made suggestions about irrigation planning in Chhota Nagpur and Santhal Pargana area. One Mr. R. U. Singh, Deputy Commissioner of Santhal Pargana provided a concrete Plan as to how many small dams could be made in hilly area and water could be conserved and used for irrigation or lift irrigation. Now, what they are doing! They are making very big dams so that it submerges all cultivable area. The colleries wanted to make Mukunda project which was also registered by the local people on the same grounds. (*Interruptions*)

Sir, I want to emphasise this point on both the mover of the Resolution and also the Planning Minister. Uneven development is the general law of Capitalism and uneven society is the general feature of the caste ridden Indian system. When the two combine it creates internal colonialism. and our total hilly and backward areas are like internal colonies. They are being ruled and exploited by the so-called advanced and developed people. It is like South Africa. This particular concept of internal colonialism must be kept in mind. The development of the area must be combined with the liberation of the people so that the fruits of development could go to the real people for which it is mean. Thank you.

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : सभापति जी, हिमाचल प्रदेश से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्वतीय क्षेत्रों के उत्थान और विकास के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है, मैं उस का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

मान्यवर, विस्तृत भूभाग वाले इस राष्ट्र में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो आज यह महसूस करते हैं कि 33 सालों की स्वतंत्रता के बाद भी आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राष्ट्रीय विकास की धारा में ऊंचे स्थान की दृष्टि से वे उपेक्षित हैं और पिछड़े हुए हैं। राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा और शान्त वातावरण के लिए यह आवश्यक है

कि राष्ट्र के प्रत्येक भाग को नागरिक यह अनुभव करे, यह महसूस करे और उसमें यह अहसास हो कि राष्ट्र के विकास के साथ साथ, उस प्रान्त का, उस भू-भाग का, जिसमें वह रहता है उसका भी विकास हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न केवल उन व्यक्तियों का नहीं जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, उन जातियों का भी नहीं जो वहां रहती हैं और अपना जीविकोपार्जन करती है। यह प्रश्न पूरे राष्ट्र की इकोनोमी से सम्बन्ध रखता है और इसलिए रखता है कि इस राष्ट्र को उपजाऊ बनाने वाले जितने भी साधन हैं, संपदा है, वे सब हमें पर्वतीय क्षेत्रों से मिलते हैं। हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गंगा, यमुना और दूसरी नदियां जिनसे हमें जल जैसा साधन प्राप्त होता है वे सब पर्वतीय क्षेत्रों से ही निकल कर हमारे समतल क्षेत्र में आती हैं। इसके साथ-साथ दूसरी सम्पदाएं भी हमें पर्वतीय क्षेत्रों से मिलती हैं।

लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि भारत सरकार ने जो छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप राष्ट्र के संमुख रखा है उसमें भी इस बात को स्वीकार किया है कि जिस गति से हमारे समतल क्षेत्रों का विकास हुआ है उस गति से हमारे पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की जितनी हम अपेक्षा करते थे और जितना कि उनका विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ है।

इसके कई कारण है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि इन क्षेत्रों में बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगाने में जो सब से बड़ा बोटलनेक है, या इन क्षेत्रों में बहुत बड़े कार्यक्रम हाथ में लेने में जो सब से बड़ी अड़चन था रही है वह ट्रांस्पोर्टेशन की है। यह बात इस बात को जाहिर करती है कि जब तक कि उन दिक्कतों या अड़चनों के ऊपर हम काबू नहीं पायेंगे तब तक हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी।

मैं अपने प्रदेश राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डुंगरपुर क्षेत्रों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां एक माही प्रोजेक्ट को शुरु किया गया था जिसको कि 1980 में पूरा हो जाना चाहिए था और वहां के हमारे ट्राइबल एरियाज को इसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक वह पूरा नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहां इनफास्ट्रक्चर और दूसरे संसाधन न मिलना। सीमेंट, लोहा, मशीनरी और जो दूसरे साधन हैं जिनसे कि यह प्रोजेक्ट पूरा होना था, वे नहीं मिल सके। इसलिए यह प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो सका है।

ये ही कारण हैं कि जिनसे कि प्लेंस में रहने वालों के मुकाबले में हमारे राजस्थान के आदिवासी, प्रदेश की तरक्की के साथ अपने भाग्य को नहीं जोड़ सके हैं। इसलिए इन इलाकों में जो लोग रहते हैं वे आज भी यह महसूस करते हैं कि हम आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, आर्थिक दृष्टि से हमें जितना विकास करना चाहिए था वह हम नहीं कर सके हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक नार्थ ईस्टर्न कौंसिल की स्थापना 1971 में की गयी थी जिससे कि उस भू-भाग का विकास तीव्र-गति से हो सके। उस भू-भाग के विकास करने की योजना भी बनायी गयी थी और उसके लिए सेन्ट्रल असिस्टेंस और सेन्ट्रल स्कीमस का भी प्रावधान किया गया था। फिर

[श्री राम सिंह यादव]

भी उस भू भाग में जितना काम होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हो सका है। इस सब के बारे में हमें सोचना होगा।

जैसा कि इस प्रस्ताव के मूव करने वाले माननीय सदस्य ने एक भावना यहां रखी है, एक प्रोग्राम दिया है, एक स्कीम दी है कि इसके लिए एक कमीशन या एक कमेटी बनायी जाए जो कि लगातार इस बात को देखे कि जो इन क्षेत्रों के विकास के लिए सैन्ट्रल असिसटैंश है, स्टेट प्लांस में जो पैसा रखा गया है वह उस क्षेत्र के विकास की स्कीमों में लगा है या नहीं। इस बात की देख-रेख के लिए नेशनल लेवल पर एक इवेल्युशन कमेटी बननी चाहिए जो कि हिल्ली एरियाज के सब प्लांस की प्रगति को देखें, सिक्सथ फाइव इयर प्लान में, स्टेट प्लांस में, एनुअल प्लांस में जो इन एरियाज के लिए सेन्ट्रल असिसटैंश दी गई उसके अन्तर्गत कितना काम हो चुका है और कितने की अभी गुंजाइश है, इस बात को देखने के लिए इस तरह की एक मूल्यांकन समिति का होना बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय एक बात मैं फोरेस्ट के बारे में कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : यही आपका आखिरी बिन्दु है।

श्री राम सिंह यादव : मान्यवर, फोरेस्ट एरियाज के सम्बन्ध में लोक सभा के पिछले सत्र में एक संशोधन फारेस्ट एक्ट में किया गया था। उस समय भी मैंने निवेदन किया था। फारेस्ट एक्ट में पहले प्रावीजन था कि स्टेट्स अपने तरीके से फारेस्ट एरिया को निकाल कर ट्राइबल एरियाज की या कुछ अन्य एरियाज की उत्पत्ति के लिए जमीन दे सकते थे। लेकिन अब प्रावधान कर दिया गया कि स्टेट्स द्वारा फारेस्ट की कोई भी जमीन निकाल कर नहीं दी जा सकती जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाजत न ले ली जाए। यह अपने आपमें एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। उस समय मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि क्योंकि जंगल बहुत अधिक कट चुके हैं, जिसका दुष्प्रभाव क्लाईमेट पर पड़ रहा है, इसलिए यह प्रावधान किया गया है। लेकिन मेरा पिछले 6 महीने का अनुभव है कि इस प्रावधान से हिल्ली एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो गई है। इसलिए मेरा सरकार से और खास तौर से योजना मंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह से पहले प्रोवीजन था, वही अधिकार स्टेटस को फिर से दे दिया जाए। इसके अंतर्गत आदिवासियों, गिरिजनों के विकास के लिए कोई स्कीम बनाने के लिए यदि फारेस्ट लैण्ड की आवश्यकता हो तो स्टेट उसको दे सके। इस तरह का प्रावधान करने की मंत्री महोदय पहल करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

मान्यवर, अंत में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र अलवर की बात करना चाहता हूं वहां पर सिरसका में नेशनल लेबल की गेम-सैंचुरी है। वहां पर कुछ गांव 100 साल से बसे हुए हैं, उन गांवों को वहां से हटाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की जा रही है। आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सैकड़ों साल से वहां रह रहा है—अगर उसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की जाएगी तो वह किस तरह से अपने कुटुम्ब का जीविकोपार्जन कर सकता है। इसलिए मैं योजना मंत्री जी से और फारेस्ट से संबंधित मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सिरसका गेम

सेंचुरी में जो लोग आबाद हैं, उनको वहां से अगर हटाया जाए तो इस समय जो सुविधाएं वहां पर मुहैया हैं, वही सुविधाएं उनको दूसरी जगह मुहैया कराई जाएं, ताकि उनको असुविधा न हो।

गेम सेंचुरी के बारे में मैं खासतौर से एक बात निवेदन करना चाहता हूं। गत वर्ष आपने लंगूरों को मारने के बारे में अखबारों में पढ़ा होगा। यहां पर जंगली जानवरों के लिए कोई रोक-टोक नहीं है, इसलिए पड़ौस में जिन लोगों की खेती होती है, उनका नुक्सान ये करते हैं। जानवर फसल खा जाते हैं और किसानों के खेत में एक किलो अनाज भी पैदा नहीं होता। उल्टे किसानों पर ही मुकदमे चलाए जाते है। इसलिए मेरा निवेदन है कि खेतों और गेम सेंचुरी के बीच में दीवार या फेंसिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे वहां के लोग रोजी-रोटी का उपार्जन कर सकें।

अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंटीग्रेटेड तरीके से जो भी हिली एरियाज हैं, समग्र विकास की दृष्टि से एक समग्र योजना बनाई जाए और उस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाए। इस काम को राष्ट्रीय स्तर की एक समिति के सुपुर्द किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI CHINGWANG KONYAK (Nagaland): Mr Chairman, Sir, if I want to talk about the grievances of the hilly areas, even if I take an hour or half an hour, I would not be able to finish. I will, therefore, confine myself to one very important point only.

It is very unfortunate that even after completion of Five-Year Plans, there is no perceptible development in many of the hilly areas. Still there are hundreds of villages in those areas where the light of development has not yet reached. The basic infrastructure of development like roads and communication, electricity and education are yet to be found in many of these areas of the country.

Hilly areas are rich in forests, minerals and many other natural resources. There is ample scope for forest-based industries, agro-based industries and power development, but the development of such industries calls for the development of road, transport and communications. The existing roads and communications facilities, built in these areas mainly for administrative and security purposes, are inadequate for development of such industries. I would, therefore, urge upon the Government to allot more funds for the development of roads, transport and communication in the hilly areas. Without this particular infrastructure, industries, agriculture etc. would not be able to develop in the hilly areas. If the industries and agriculture are the body and soul of the country, communications are the nerves. No other aspects of development can be successfully undertaken unless the road transport and communication are developed in the hilly areas. I would, therefore, once again request the Government to make special efforts to develop road and communication within the shortest possible time.

With these few words, I support the Resolution.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है। दिल्ली में प्रोफेसर पाराशर साहब रहते हैं। उन्होंने आकर यह प्रस्ताव रखा है। हमारे आदरणीय योजना मंत्री अपनी छठी योजना की सारी धनराशि भी खर्च कर दें तब भी इन इलाकों का विकास नहीं हो सकेगा।

[श्री मूल चन्द डागा]

मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को साबित किया है कि वनों में रहने वाली शकुन्तला ही दुष्यन्त को पसन्द कर सकती है और उस दुष्यन्त के घर भरत जैसा पुत्र भी वनों में ही पैदा हो सकता है। सीता के दाम्पत्य प्रेम की जो परीक्षा हुई वह भी वनों में ही हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप यह कहर क्यों बरसाने जा रहे है? गाड़ी दे दो, हवाई जहाज दे दो, मशीनें लगा दो, इंडस्ट्रीज लगा दो, इस तरह की बात आप क्यों कर रहे हैं? तब उनका जो सौन्दर्य है, उनकी जो सुन्दरता है वह कहां रह जाएगी? मोर कहां नृत्य करेगा?

सभापति महोदय : मुझे खबर मिली है कि कुछ ही दिनों में आप वनों में जाकर बसने वाले हैं।

श्री मूल चन्द डागा : सोच रहा हूं। मैं तो सोचता हूं कि वनों में जो जीवन का आनन्द है, वह हमारे आदरणीय योजना मंत्री जी बतायेंगे, उनकी भाषा में बड़ी सुन्दरता और शोभा है।

हमारे साथी जो वनों के सौन्दर्य को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि पगडंडी पर चलना पति-पत्नी साथ चलते हों और कुछ बोझ भी कन्धों पर लेकर चलते हों तो कितना अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिये, विकास का मतलब क्या है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया।

मैं कहता हूं कि हमें जंगल दे दो, जहां आदिवासी लोग हैं, वहां जंगलों में वस्त्र दे दो। भोजन, फल, फूल यहां तक कि माथे पर लगाने का फल भी जंगलों में मिलता है। नारी के सारे सौंदर्य की चीजें वहां हैं लेकिन यह उनका मुकाबला यहां की निविया क्रीम से करते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि मह क्या करना चाहते है?

(व्यवधान)

जहां तक रेगिस्तान की बात है, मैं तो कहूंगा कि रेगिस्तान में कुछ चीजें रेगिस्तान की रहनी चाहियें। मैं चाहता हूं कि उनकी संस्कृति फारेस्ट की जो कल्चर है, वह रहनी चाहिये। उनका विकास किस रूप में होना चाहिये, जो वहां के लोग चाहते है। ये लोग उनके विकास के जिम्मेदार हैं। हमारे पराशर जो यहां आकर रहते हैं, वहां ये जल्दी पहुंचना चाहते हैं, सड़कें और मोटरें चाहते हैं। ये वहां बना देंगे तो बेईमानी और शोषण करने वाले लोग वहां पहुंच जायेंगे। मैं चाहता हूं कि वहां ऐसे अधिकारी न रहे जो बारबार वहां के लोगों को तंग करें, परेशान करें। इस तरह के लोग वहां की हालत बिगाड़ते हैं। वहां के विकास के नाम पर बड़े-बड़े लोगों ने अपने बंगले वहां बना लिये हैं। हमारे राजस्थान में एक पहाड़ है माऊंट आबू, वहां जाने आने के साधन अच्छे हैं, वहां बड़े-बड़े लोगों ने 400 बंगले बना लिये है, अब वहां कोई जाना पसन्द नहीं करता। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यहजो हमारे पराशर जी ने अच्छी भावना से प्रस्ताव रखा है उसको आप ले लें लेकिन पर्यावरण बने, वहां का जो सौंदर्य और गूंजन है नदियां हैं, छोटे छोटे नाले झरने, बहते हैं, वह वैसे रहने चाहियें। अगर हर जगह सड़कें, इंजन और धुंआ होगा तो यह कहर होगा। मैं कहना चाहता हूं कि इन सुन्दर स्थानों पर यह कहर मत बरसाओ। अगर यह कहर वहां चला गया तो वहां का सौन्दर्य नहीं रह सकेगा और लोगों का पहाड़ों पर जाने का मन नहीं होगा। हम लोग पहाड़ क्यों देखना चाहते हैं? वहां के सौंदर्य और आनन्द

के लिये जाते हैं। अगर ये सब चीजें वहां पर भी पहुंच गई तो फिर लोग वहां किस लिये जायेंगे? आप लोग उन स्थानों में तो थोड़ा पैदल चलना सीखें अगर वहां भी हर जगह रेलें हो जायेंगी तो आप जो लोग रेलों के आस पास रहते हैं उनकी हालत देखिये।

श्री वीरभद्र सिंह : आप क्या चाहते हैं?

श्री मूल चन्द डागा : आप वहां घोड़ों पर घूमते हैं, चेहरा इसलिये सुन्दर है, इन सब चीजों से खराब हो जायेगा, आप हिमाचल के रहने वाले हैं पहाड़ों में रहिये इन सब चीजों की इच्छा मत करो।

सभापति महोदय : अध्यक्ष की बात सही है।

श्री मूल चन्द डागा : आपकी बात से लग रहा है कि ऋषियों और मुनियों ने जो तपस्या की ज्ञान प्राप्त किया वह प्रकृति से किया और ये लोग इस प्रकृति को नष्ट करने के लिये लगे हैं और इस प्रकार की योजना बना रहे हैं। आप इस रैज्योलूशन को पढ़िये। **(व्यवधान)** यह बड़ा गंभीर मामला है इसको गंभीरता से सोचना है। स्टील का कारखाना नहीं लगाना है आप काजी साहब इंजीनियर हैं।

सभापति महोदय : जितने माननीय सदस्य हैं, सब गंभीरता का उदाहरण आपसे ग्रहण करते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : सभापति जी आपने हो समझा है, हीरे की कदर आप ही कर सके हैं और कोई नहीं कर सकता है।

मैंने अमेंडमेंट दी है। मैंने कहा है कि पर्यावरण का ध्यान रखें। मैं चाहता था कि इसमें उद्योगों की बजाय घरेलू उद्योग लगाये जायें। वहां पर ऐसे उद्योग लगाने चाहियें जिससे वायु प्रदूषण, एयर पौल्यूशन न हो। इसका ध्यान रखा जाये। वहां पर जो वन है उनका और विकास किया जाए। उनको नष्ट न किया जाए। यह नहीं होना चाहिए कि बाहर के लोग वहां घुसें नहीं कि आदिवासियों की धन-दौलत लूटना शुरू कर दें और बिचौलिये वहां पर बैठ जाएं। वहां पर सड़कें बनी नहीं कि शहर वाले वहां पहुंच जायेंगे। जहां जरूरी है वहां थोड़ा सा विकास करना चाहिए। वहां रोड्ज बननी चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन माननीय सदस्य ने इस प्रकार का रेज़ोल्यूशन पेश कर दिया है कि यदि योजना मंत्री सारा बजट भी हिमाचल प्रदेश में लगा दें तब भी शायद उसमें सुझाए गए सारे काम नहीं हो सकेंगे।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों में कठोर मेहनत करने वाले भोले और ईमानदार लोग रहते हैं। वे प्रकृति के बीच रहते जरूर हैं लेकिन उन्हें कई गंभीर संकटों का सामना करना पड़ता है। अगर हमने उन्हें उसी ढंग से रहने दिया तो देश के लिए हमेशा एक संकट बना रहेगा मैं इस रेज़ोल्यूशन का समर्थन इस लिए कर रहा हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो तथा वहां रहने वालों को सुविधाएं मिलें।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के साथ इस देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि विदेशी षड्यंत्रकारी और गुप्तचर जिस तरह पहाड़ी क्षेत्रों के भोले-भाले लोगों पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है।

मैं कोई बहुत लम्बी-चौड़ी चर्चा न कर के केवल यह कहना चाहता हूं कि

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

पहाड़ी क्षेत्रों के आवागमन के साधनों और संचार व्यवस्था में सुधार किया जाए इस बात की कोशिश की जाए कि जो उत्पादन वे करते हैं—फल पशुधन भेड़ों की ऊन, शहद, मछली, जड़ी-बूटियां, लकड़ी और पत्थर, वहीं पर उसके उद्योग कायम किये जाएं, ताकि उन्हें यह उत्पादन करने में सुविधा हो और वे उसे देश के विभिन्न भागों में बेच सकें। इससे वहां के लोगों का विकास हो सकेगा।

उन लोगों की सब से बड़ी समस्या यह है कि आवागमन के साधन न होने की वजह से व पटवारी और पुलिस के बहुत बड़े शिकार होते हैं। उनकी डाक और सूचनायें बहुत लम्बे अरसे के बाद पहुंचती है। जिला मुख्यालय से उनका सम्पर्क नहीं रहता है। वे बहुत भोले-भाले और ईमानदार लोग हैं। अगर आज पैसा और सामान वहां रखा जायेगा, तो दस साल बाद उसी हालत में मिलेगा। ऐसे लोगों की सताए जाने से सुरक्षा तभी हो सकती है, जब हम वहां पर आवागमन के साधनों की व्यवस्था कर सकें। इसी तरह बिजली और रोशनी का वहां के लिए बड़ा महत्व है। वहां पर मिट्टी का तेल भी नहीं मिल पाता है। मैदानों से आने वाली चीजें पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत महंगी मिलती है। हमें इन बातों की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

हमें पर्यटन को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही पर्यटन के अन्तर्गत पहाड़ों से जो धन मिले, यदि हम उसको उस क्षेत्र के विकास पर खर्च करने की परम्परा बना लें, तो उससे पर्वतीय क्षेत्रों का बहुत विकास हो सकेगा।

पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधायें न होने के कारण वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। चूंकि वे बहुत गरीब लोग हैं, इस लिए उनके लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि शिक्षा पर कर उन्हें अपना विकास करने का अवसर मिले। योजना मंत्री जी इस सम्बन्ध में ज्यादा परिचित हैं। यह समस्या सारे देश की समस्या है, जो देश की सुरक्षा और विकास से भी जुड़ी हुई है। इस लिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैंने भी अपना नाम दिया था। पांच मिनट मुझ दे दीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी : पांच मिनट उन्हें दे दीजिए और दो तीन मिनट मुझ दे दीजिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : पहले जो पांच वर्षीय योजनाएं बनती थीं उनमें एक यूनिफार्म पैटर्न आफ प्लानिंग बनाया गया था। उस समय न तो भौगोलिक परिस्थितियों को और न ही आर्थिक विषमताओं को देखा गया था। इस छठी पंच वर्षीय योजना में योजना मंत्री जी ने और प्लानिंग कमीशन ने हिल एरिया डवलपमेंट के बारे में अलग से 25वां चैप्टर कायम करके अलग से इस की व्यवस्था की है। इसके लिए मैं योजना मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप कितना समय लेंगे ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं पांच मिनट में अपनी बात कह लूंगा।

सभापति महोदय : मैं आप की इच्छा को समझ रहा हूं, प्रबल इच्छा है। लेकिन और भी बोलने वालों ने नाम भेजे हैं और

समय का भी ध्यान रखना होता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, और टाइम एक्सटेंड कर दीजिए।

सभापति महोदय : सीमा पर बात पहुंच गई है लेकिन आप बोलिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं यह कहना चाहता था कि यह जो चैप्टर है हिल एरिया डेवलपमेंट का, इसे स्थापित कर के और हिल एरिया के लिए विशेष प्रावधान कर के जो कदम उठाया गया है वह सराहनीय है। लेकिन हिल एरियाज को जो प्राविसेंज दिए गए हैं उन में राजस्थान का कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं लिया गया है। मैंने देखा है कि उसमें जम्मू और काश्मीर लिया गया है, एन० ई० एफ० ए० लिया गया है, नागालैंड लिया गया है, त्रिपुरा लिया गया है, हिमाचल प्रदेश लिया गया है, पंजाब का भी हिस्सा लिया गया है और उत्तर प्रदेश का भी एरिया लिया गया है, परन्तु राजस्थान का कोई भी जिला इस हिल एरिया डेवलपमेंट के अन्दर इन्क्लूड नहीं किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अन्दर 75 प्रतिशत शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं और उसका 75 प्रतिशत एरिया बिलकुल हिली एरिया है। तो उस डिस्ट्रिक्ट को उसमें इन्क्लूड करना चाहिए। इसी तरह से बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी उस में इन्क्लूड करना चाहिए। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हिली एरियाज में आते हैं। इस के अलावा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, कोटा डिस्ट्रिक्ट, बूंदी डिस्ट्रिक्ट जो हैं इन के बारे में भी जांच की जानी चाहिए कि वास्तव में ये भी हिली एरिया में आते हैं या नहीं। इस सम्बन्ध में पूरी जांच की जानी चाहिए।

विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूं इस अवसर पर वह यह है कि इस प्रकार हिली एरियाज के डवलपमेंट के लिए जो प्राविजन्स किए गए हैं और जो चैप्टर अलग किया गया है उसी प्रकार डेजर्ट डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। योजना मंत्री जी ने जैसे हिल एरिया डेवलपमेंट का कार्यक्रम दिया है वैसे ही डेजर्ट डवलपमेंट के प्रोग्राम को भी अलग से चैप्टर कर के अलग से उस का प्लान करना चाहिए और अलग से उस के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इस के लिए जो फंड्स की व्यवस्था की गई है वह फंड्स वास्तव में हिल एरिया के लिए भी पर्याप्त नहीं है और डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए जो प्राविजन्स किए गए हैं उस में सिर्फ 50 करोड़ ही रखे गए हैं। इस प्रकार से डेजर्ट एरिया को जो नेग्लेक्ट किया गया है उस की ओर भी मैं योजना मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वास्तव में रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास अगर नहीं करेंगे तो रेगिस्तानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र दोनों ही पिछड़े क्षेत्र हैं और वह पिछड़े रहेंगे। क्षत्रीय असंतुलन को मिटाना है तो इन दोनों क्षत्रों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सड़कों के निर्माण का प्रश्न पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जितना आवश्यक है उतना ही रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए भी आवश्यक है। इसी प्रकार से पीने के पानी का जो सवाल है पहाड़ी क्षेत्रों में पांच-पांच छः-छः मील दूर पानी के लिए जाना पड़ता है, उसी प्रकार से रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी पीने के पानी का सवाल है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछड़े इलाके हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं अथवा रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उनका विकास किया जाना चाहिए। उन क्षेत्रों का विकास करने से ही जो अनुसूचित जनजाति व आदिवासी लोग हैं या जो डेजर्टस में रहने

[श्री वृद्धि चन्द जैन]

वाले पिछड़े लोग हैं, उनका विकास सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार से वे लोग भी दूसरे प्रदेशों के लोगों के साथ स्टैण्ड कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ, श्री पराशर जी ने यहां पर जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Do you want to speak? There are some names before me. If that is the wish, I can, . . .

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Santosh Mohan Dev. Not more than five minutes.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (Silchar): One or two minutes, or more?

Mr. Chairman, I come from a State which is basically a hill area State surrounded by other hilly States and hill territories. After independence Assam was devided into various parts and ultimately Manipur, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Mizoram have been created. We found that the North-Eastern region consisting mostly of tribal people had not developed. We are very happy that after independence Pandit Jawaharlal Nehru took active interest in the hill areas development and many plans and programmes have been prepared but unfortunately the implementation of these plans and programmes is not being done properly. I have been labouring before coming to this House and after coming here also that the North-Eastern Region should be developed and geared in such a way that they can take more active interest in the development of those areas.

In a place like Mizoram in the summer time a housewife has to travel miles together for a bucket of water. In a place like Arunachal Pradesh, to get a litre of kerosene people have to go to a kerosene depot at a distance of 20 kilometres. That is the position.

We find that in this Budget the Government has proposed some new schemes for the development of Railway lines but I appeal to the Planning Minister to see that these Railway lines are implemented with a time-bound programme. Because, our sad experience is that from Bongaigaon to Gauhati, it has taken more than three years for them to lay the line—only a distance of 42 kilometres. And, on the other day, the Railway Minister said that they will be in a position to complete it by 1982. I doubt very much. So, with this experience behind, . . . *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Why do you doubt?

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Because, unfortunately, we have seen that in the development of that area something is lacking somewhere. I would only conclude by saying that a missionary zeal is necessary for the development of the area. Missionaries are working very hard in remote villages in that area and these missionaries could do what our elected and nominated Government could not do. What is it so? Because either the urge to develop is not there, or they do not have the machinery to employment the plans. I do not know which one is responsible. We have got about 3,400 villages. I am afraid that in all over Assam, even now, you cannot come out totally dry from those areas during the rainy season.

MR. CHAIRMAN: You are a very strong person. You can strike hard and harder.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: I am not strong. I cannot counter you. Anyhow, I hope that with the attitude that our Government is taking and with the active support of the Planning Government the North Eastern Region will be developed along with the other regions also.

SHRI SUDHIR GIRI Contai): Sir, the central point of the resolution is development of hilly regions. For that purpose, a parliamentary committee has been sought for to find out ways and means to improve the lot of the hilly people. My predecessors have said a lot and I do not want to delve deep into those things. Firstly, I want to know who are the people who are responsible for the distress of the hilly people? I know that their social culture is so backward that they have not been able to develop their lot. Who are the persons who are exploiting them? Landlords are exploiting these hilly people. They are not giving them proper wages. They keep these people as bonded labour. They get them working hard, but they are not giving them their due share. Secondly, where development has taken place, the contractors are there and they are exploiting these people. Thirdly, there are some people who act as missionaries in the hilly areas. They exploit their sentiments and they exploit them religiously. These missionaries have served some purpose, namely, giving medical help, some education, etc. However, not only in respect of the hilly people, but in respect of all the backward people, development programmes must be adopted.

What are these development programmes? I suggest to the Government that total land reforms programme must be adopted there. Land ceiling should be imposed. The tiller of the soil must be given land. Educational institutions must be established there. The teachers should be imbued with a missionary zeal. As Mr. Sontosh Mohan Dev said, the missionary zeal must be there. They must train the hilly people to exact their rights. These people are not able to exact their rights because they are not educated. I know in developed areas also there are some people who are illiterate and they cannot exact their rights. Only educated people can exact their rights. So the establishment of educational institutions is a vital factor and the Government of India must pay due regard to this aspect. Lastly, I would urge upon the Government to establish hospitals and provide these people with employment. They must provide livelihood to everyone. If we can do this then the people of the hilly areas can develop. More development of the area will not do; the development of the culture, the development of the educational institutions, the development of the medical institutions must be resorted to.

MR. CHAIRMAN: Why do you forget agriculture?

SHRI SUDHIR GIRI: I have already said that land reform must be there. Total land reform must be adopted. This was my first suggestion.

I conclude by saying that if the Government is really keen in developing social culture and the society of the hilly people, it must re-orient its economic policy, because all the programmes need finance. So, the economic policy must be re-oriented 'o uplift the backward people.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और श्री पराशर जी को बधाई देता हूं जो इस प्रस्ताव को यहां पर लाये ।

पहाड़ देश की तब रक्षा करता है जब की वह शक्तिशाली हो लेकिन देश का विनाश करता है, कमजोर करता है— तब जब कि पहाड़ कमजोर हो । यह भारत के वेद-मंत्रों में लिखा है, जिस को त्रिपाठी जी भी अच्छी तरह से जानते हैं और मंत्री महोदय भी जानते हैं। वास्तव में भारत पर जितने हमले हुए वे पहाड़ी रास्तों से हुए । पहाड़ हमारा दरबान है, पहरेदार है, अगर पहरेदार कमजोर होता है तो देश गुलाम होता है, फातह-लोग आते हैं और देश को फतह करते हैं ।

[श्री मनीराम बागड़ी]

भाई एक बहुत अच्छी बात है कि आज देश के पहाड़ों की उन्नति के लिये कुछ माग बना है । पहाड़ हम को सब कुछ देते हैं—उत्तम से उत्तम स्थान देते हैं, दुनिया का सब से बड़ा तीर्थ-स्थान दिया है, सब से बड़ी नदियां दी हैं, सब से पवित्र दवाइयां देते हैं और सब से बड़ा देवता जिस को हम "शिव" मानते हैं, जो पर्वतों का राजा है, समूचे भारत की गरीब जनता का देवता है—ये सब हम को पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। इस लिये हर दृष्टि से हमारे लिये पहाड़ों का सब से ज्यादा महत्व है, इन को समय रहते बनाना पड़ेगा । आप देखिये:—नया शहर बनता है, जैसे चण्डीगढ़ बना, वहां पर पहले से स्कूल, कालिज, सड़कें, आदि सब चीजें बनी, उस के बाद शहर बसा, लेकिन पहाड़ों में ये सब चीजें आप को पहले से बनानी होंगी, इन के बनाये बिना पहाड़ों का विकास नहीं होगा । यह ठीक है कि देश के सामने पैसे की कमी है, लेकिन उस के लिये रास्ते निकाले जा सकते हैं । आप भारत में 20 परसेंट लोगों की आमदनी और खर्चे पर रोक लगा दीजिये, फिर देखिये—3 साल के अन्दर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो जायगा । वहां पर बड़े-बड़े महल बनाने की जरूरत नहीं है, बड़े मकानों की जरूरत नहीं है, बड़े उद्योग-धन्धों की जरूरत नहीं है, उन को बिलकुल गांधी जी की कल्पना के अनुसार, बल्कि गांधी जी की आत्मा को पहाड़ों में बसाना पड़ेगा । छोटे उद्योग, छोटे रास्ते और छोटे कल कारखाने बनाने होंगे । पहाड़ों के आने-जाने के जो रास्ते हैं उन को आधुनिक बनाना होगा । जिस तरह से आप पानी पहुचाने की व्यवस्था करते हैं उसी तरह से आप को पहाड़ों के लिये करना होगा, सवारियों के लाने ले-जाने का प्रबन्ध करना होगा । वहां पर बिजली पैदा हो सकती है, उन की जल-शक्ति का उपयोग इस काम के लिये करना होगा ।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात है—बात कुछ बने या न बने, लेकिन कम से कम पहाड़ी लोग जब यह सुनेंगे कि हमारे लिये भी यहां आवाज उठाई गई है उन के अन्दर हौसला पैदा होगा, उत्साह पैदा होगा । हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये वे लोग हमारे दाता है, हमला होने पर सब से पहले दुख-दर्द के शिकार वे होते हैं, हम को लकड़ी देते हैं, हर तरह की वस्तुएं हमारे लिये मुहिया करते हैं, इस लिये मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा कर वहां पर सड़कें, स्कूल और अस्पताल खोलें, बड़े स्कूल और अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं है, छोटी दुकानें, बनाइये, लेकिन साफ-सुथरी हों । उन को काम-धन्धा मिलना चाहिये, नौकरियां मिलनी चाहिये, लेकिन ऐसी नौकरियां नहीं कि बन्धुआ मजदूर हो जायें, नौकरियों में उन को हिस्सा दीजिये, ताकि वे भी अच्छे ढंग से उन्नति कर सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास किया जाए लेकिन यह तभी हो सकेगा जब एक तरफ, एक जगह जो माया का पहाड़ है, उसको तोड़ा जाए और दूसरी तरफ जो दरिद्रता का गड्ढा है, उसको भरा जाए । वह दरिद्रता का गड्ढा पहाड़ों में है और लूट का पहाड़ जो है, वह इन शहरों के अन्दर बड़े उद्योगपतियों के आंगन में है । इन दोनों में जब समानता लायेंगे, तभी कुछ कल्याण होगा ।

THE MINISTER OF PLANNING AND LABOUR (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): Sir, at the very beginning I must compliment.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : हिन्दी में बोलिए, आप तो बड़ी अच्छी हिन्दी जानते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम अपना कर्तव्य समझता हूं . . .

SHRI C. T. DHANDAPANI: You can speak in English.

MR. CHAIRMAN: He cannot speak in both.

SHRI C. T. DHANDAPANI: Because he started in English . . .

श्री मनोराम बागड़ी : आपकी बात रख ली, उन्होंने अंग्रेजी में स्टार्ट कर दिया । अब हिन्दी में उनको बोल लेने दें ।

SHRI C. T. DHANDAPANI: Everybody knows English.

श्री मनोराम बागड़ी : नहीं, सब नहीं जानते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं सर्वप्रथम अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के सम्मानित सदस्य प्रो० पराशर को धन्यवाद दूं और बधाई प्रेषित करूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर एक अवसर प्रदान किया कि हमारे देश के जो पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले नागरिक हैं, उन को समस्याओं का गहरा अध्ययन कर उनके निदान के सम्बन्ध में सुअवसर इस सदन के सम्मानित सदस्यों को प्राप्त हो ।

सभापति जी, मुझे यह कहने की आज्ञा प्रदान करें, कि हमारे सम्मानित सदस्य पराशर जी, पर्वतीय क्षेत्रों को जो विकासीय समस्यायें हैं, उनके निदान के विशेषज्ञ रहे हैं और पिछले वर्षों में जो उन्होंने समय समय पर सम्मेलन बुलाए हैं और उन सम्मेलनों को जो संस्तुतियां हुई हैं उनसे इस सदन को और शासन को भी बहुत सहायता मिली है, योजनाओं के बनाने में और आज इस प्रस्ताव के द्वारा भले हो मैं उनसे यह अनुज्ञा चाहूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि जो विशेष कठिनाइयां हैं, उनकी पृष्ठभूमि में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां हैं, उनको वे ध्यान में रखने की कृपा करें लेकिन जो आधारभूत समस्यायें उन्होंने इन परिक्षेत्रों की हमारे सम्मुख प्रस्तुत की हैं, उनका हम सम्मान करते हैं माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं, जो यहां पर व्यक्त की गई हैं, उनका सम्मान करते हैं ।

सभापति महोदय । उनके चेहरे से मालूम होता है कि वे विचार हो नहीं कर रहे हैं बल्कि निर्णय पर भी पहुंच गये हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी चेयरमैन साहब, आपने जो भावना व्यक्त की है, उसके सम्बन्ध में मैं छ नहीं कहना चाहता । अधिकार उनका है निर्णय लेने का ।

सभापति महोदय । कुछ असर पड़ जाता है । कुछ क्या बहुत बड़ा असर पड़ जाता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : : मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा ।

सभापति महोदय : नहीं, आप बोलें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, आप कल्पना करें, इन पर्वतीय अंचलों की । आलिनी और अलोंग से लेकर तेजू तक अरुणांचल प्रदेश से लेकर एजोल तक और मिजोरम से ले कर लद्दाख तक के हिमाच्छादित शिखरो तक और हिमालय प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गंगोत्री, यमनोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ से लेकर नाथूला,

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

के सन्दरतम स्थलों तक, इस प्रकार को नदी घाटियों में और चोटियों में सीढ़ीनुमा खेत और कलकल करती हुई नदियां और उनके किनारे पर बसे हुये जलवायु और प्रकृति को प्रताड़ना का सामना करते हुये वहां के वीर, वहां की वीरांगनायें, वहां के प्रकृति प्रेमी पुरुष और वहां की स्त्रियां,

17.00 hrs.

वहां के मेहनत करने वाले, विभिन्न वेशभूषा, रंग-बिरंगे कपड़े पहनने वाले जो लोग हैं उनको अनगिनत समस्यायें हैं। प्रत्येक प्रदेश की, प्रत्येक घाटी, प्रत्येक स्थल की अपनी अपनी समस्यायें हैं । प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र की, शिखर तक पहुंचने वाली पहाड़ियों पर बसे हुए प्रत्येक गांव की अपनी अपनी समस्यायें हैं। उनकी हम सभी कल्पनामात्र कर सकते हैं ।

श्रीमन् इन समस्याओं के समाधान के लिए इतिहास ने हमारा साथ नहीं दिया । इन क्षेत्रों का विकास करने का कभी समुचित अवसर ही नहीं मिला । । आज की आधुनिक और वैज्ञानिक चुनौतियों, उनके परिवेश में, संदर्भ में इनका समुचित विकास हो सकता, यह अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ । अंग्रेजों के शासनकाल में, अंग्रेजों ने कतिपय सौन्दर्य स्थलों को चुन कर उनका विकास किया। चाहे वह श्रीनगर हो, शिमला हो, नैनीताल हो, दार्जिलिंग हो, शिलांग हो, या कोई अन्य स्थल हो, उन सभी में अपनी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बिताने के लिये अंग्रेजों ने इन पहाड़ी स्थानों का विकास किया। अपनी सेना के लिए वहां से सैनिकों की, वहां के हमारे वीरों, पुरुषों की भर्ती करने के लिए उन्होंने कैन्टोनमेंट (छावनियों) की स्थापना की । लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की जनता-जनार्दन के सर्वांगीण विकास की योजना की ओर अंग्रेजी शासकों का ध्यान नहीं गया ।

जो अलग-अलग रजवाड़े रहे हैं, अलग अलग प्रकार की पुरानी स्थानीय संस्कृतियां रही हैं, विभिन्न भाषाएं और बोलियां हैं उनमें कभी एकात्मकता नहीं रही, विकास की एकात्मकता नहीं रही । भौगोलिक एकात्मकता रही, पर्वतीय एकात्मकता रही लेकिन संस्कृति के भिन्न रूपों के एकात्मक विकास की, भिन्न चरणों के विकास की एकात्मकता नहीं रही । उनका अलग अलग इतिहास रहा । यह सदन इस बात का साक्षी है कि स्वतंत्रता के बाद ही प्रथम बार यह अवसर प्राप्त हुआ कि देश के अन्य भागों के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी हमें अग्रसर होना है । वास्तव में हमारे माननीय सदस्य डागा जी ने बड़े सुन्दर तरीके से और प्रो० पराशर ने भी अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया ।

श्री डागा की भांति प्रो० पराशर ने अपने भाषण में भी यह कहा कि एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां विद्युत का विकास हो, बिजली की योजनाओं का जो बुनियादी ढांचा है, आधारभूत उपादान है, उन उपादानों का निर्माण किया जाए, वहां पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के विरोधाभासों की तरफ भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी परिकल्पना है, आकांक्षा है कि इन बड़े बड़े बांधों का निर्माण हो लेकिन वहां यह भी सत्य है कि हमारे यहां भाखड़ा डेम बना लेकिन भाखड़ा गांव का विकास नहीं हो सका । विद्वान सदस्य श्री डागा जी ने भी इसी विरोधाभास का विस्तृत उल्लेख किया है । एक तरफ देश की आवश्यकताएं हैं कि बड़े बड़े बांध बनें, जलीय विद्युत परियोजनाएं बनें, थर्मल बिजली की योजनाएं चलें, इसका जो सम्माननीय सदस्य डागा जी राय जी, ने उल्लेख किया

उसका मैं आदर करता हूं लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण के लिए इन निर्णयों को हमें लेना होगा, बड़े बड़े बांध और बड़े बड़े बिजली घर भी बनाने ही होंगे ।

17.04 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

ये राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक हैं । हम यह नहीं कह सकते कि कोयले की खदानों का हम विकास नहीं करेंगे, नयी रेलवे लाइन नहीं बनायेंगे और दूसरे अन्य काम नहीं करेंगे । लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि जिन लोगों की भूमि ली जाए उनका पुनर्वास न किया जाए, उनके पुनर्वास को प्राथमिकता न दी जाए ।

श्रीमन् शासन ने विशेष तौर पर यह निर्णय लिया है कि जहां कहीं भी इस प्रकार की योजनाएं बनायी जाएं, वहां पर न केवल उनको पूरा मुआवजा दिया जाए, प्रतिदान दिया जाए, बल्कि इसके साथ साथ जिन लोगों की जमीनें ली जाती हैं, भूमि ली जाती हैं उनके पुनर्स्थापन और पुनर्वास की भी यथासंभव व्यवस्था की जाए ।

श्रीमन् छठी पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर प्रावधान किया गया है । अगर मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं तो देश के पर्वतीय क्षेत्रों को हम दो-तीन भागों में बांट सकते हैं। एक वे जो संपूर्ण राज्य बने हुए हैं । जो स्वयं राज्य हैं या यूनियन टैरिटरी हैं और सरकार के स्वयं अपने प्रतिक्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम—जहां के अपने विधान मण्डल हैं, जिनका अपना शासन है, जिनका न केवल अपना योजना-विभाग है, बल्कि अपनी संपूर्ण शासन प्रणाली है और हमारे संविधान के अनुसार यह संभव नहीं है कि वहां की योजनाओं का संपूर्ण दायित्व हम ले सकें ।

सम्माननीय सदस्य पराशर जी और सिंह साहब ने अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश के संबंध में कहा । मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने जिस प्रकार प्रगति की है, जितने कम समय में हिमाचल प्रदेश की जनता के सहयोग से जो विकास हुआ है, वह अन्य प्रदेशों के लिए एक उदाहरण है । फलों के उत्पादन के बारे में ही देख लीजिए । फलों के बारे में देश में ही नहीं बल्कि बाहर भी हिमाचल को विशेष स्थान प्राप्त है । तो ऐसी बात नहीं है कि विकास के प्रयास नहीं हुए हैं या योजनाबद्ध विकास के प्रयास नहीं हुए हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की योजनाएं दूसरे पर्वतीय प्रदेशों के लिए उदाहरण हैं ।

इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर को आप लें या मणिपुर को या मेघालय और त्रिपुरा को लें—इनकी अपनी योजनाएं हैं और उन योजनाओं को बनाने की पूर्ण स्वायत्तता उनको ही दी गई है । योजना आयोग भी उनके सिद्धांतों का निरूपण करता है एवं उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जो प्राथमिकताएं वहां की चुनी हुई सरकारें तय करती हैं, उन प्राथमिकताओं को योजना आयोग सामान्यतया मानता है । छठी योजना में पांचवीं योजना के मुकाबले में अधिक प्रावधान पहाड़ी क्षेत्रों के लिए किया गया है । पांचवीं योजना में 1528 करोड़ रुपए का प्रावधान था जो छठी योजना में

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

4102 करोड़ रुपए का कर दिया है । राज्यों का तुलनात्मक विवरण आप देखें—

(Rupees in crores)

	Fifth Plan	Sixth Plan
Himachal Pradesh .	238·95	560
Jammu & Kashmirx.	362·64	900
Manipur. . .	92·96	240
Meghalaya . .	89·53	235
Nagaland . .	83·63	210
Tripura . . .	69·68	245
Sikkim . . .	39·64	122
Arunachal Pradesh .	63·30	212
Mizoram . .	46·59	130
N.E.C. . .	90·00	340

कितनी वृद्धि है । एन० ई० सी० के प्लान में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है । उत्तर प्रदेश के हिली एरियाज में 170 करोड़ की तुलना में 351 करोड़ रुपए हैं और दूसरे राज्यों को मिलाकर उनका प्लान आउट-ले 908 करोड़ रुपए निर्धारित है । कुल मिलाकर पर्वतीय प्रदेशों व क्षेत्रों का 4102 करोड़ का प्लान है और इसमें 3563 करोड़ केन्द्रीय सहायता है । इससे आप परिणाम निकाल सकते हैं कि कितनी अधिक केन्द्रीय सहायता का प्राविधान किया गया है ।

जम्मू-कश्मीर या हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों को प्लान आउट-ले का 93.31 प्रतिशत सहायता केन्द्री-शासन के माध्यम से दी जा रही है । उस विकास की गति को दुगुने से भी ज्यादा किया गया है । माननीय श्री जैन ने बताया है कि पहली बार छठी योजना में पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग से अध्याय जोड़ा गया है, 25वां । उस में उन सभी सुझावों का समावेश है जिन का समावेश माननीय सदस्य चाहते हैं । कुछ दिनों में छठी योजना की प्रकाशित प्रति मैं सदन की मेज पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं । हिन्दी संस्करण का प्रकाशन हो रहा है । अंग्रेजी वाला तो छप गया है । लेकिन प्रेस की कठिनाई की वजह से हिन्दी के प्रकाशन में कुछ देरी हो रही है जिसका मुझे खेद है । मैं चाहता था कि आज ही उसको यहां रख सकता लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है । छठी योजना में 25वां जो अध्याय है मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य उसका अध्ययन करें । उसमें मुख्यतः पांच बातें हैं जिन पर जोर दिया गया है । पहला तो जो बुनियादी ढांचा है पर्वतीय क्षेत्रों का और जो वहां के निवासियों की आवश्यकतायें हैं उनके बीच में संतुलन पैदा करना है, सन्तुलित विकास करने की बात कही गई है ।

Balance in emphasis between beneficiary-oriented and infra-structural development programmes, keeping in view the vital importance of ecological restoration and conservation.

जो पर्यावरणीय आवश्यकतायें हैं, इकोलाजिकल रैस्टोरेशन और कंजर्वेशन है उस पर जोर दिया गया है ताकि वहां पर उनका सन्तुलित विकास हो सके और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनायें बन सकें यह उसका मुख्य उद्देश्य है । इसी प्रकार से जो कार्यक्रम भूमि रक्षण, वनीकरण और वन विकास और इसी प्रकार पशुपालन और चरागाहों के विकास के सम्बन्ध में कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है ।

Priority to programmes relating to soil erosion, forestry, Horti-culture,

plantation, animal husbandry and silvi-pasture development.

वहां के लोगों की जो बुनियादी आवश्यकतायें हैं उनके लिए प्राविधान करना है जैसे पीने का पानी है, भोजन, कार्य करने की जो योजनायें हैं, जानवरों के लिए चारा है, स्थानीय आवश्यकताओं के लिए लकड़ी वगैरह की आवश्यकतायें हैं, खाद वगैरह है, जिसको माननीय पासवान जी ने सिक्स एफ कहा है, उनकी तरफ ध्यान देना है ।

Meeting basic needs of hill people—water, food, work, fodder, feed, fuel and fertiliser.

इसी प्रकार से जो वहां की उच्च शिक्षण संस्थायें हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, पहाड़ों के विकास के लिए इन योजनाओं में उनको पूरा पूरा स्थान देना है, उनका भी उस में भाग रखना है ।

Involvement of Universities in the hill regions in the study of their problems.

पांचवां

Eco-development forces—Ex-service men.

जो वहां पर भूतपूर्व सैनिक हैं, वहां की युवा शक्ति है, उनको भी वहां के विकास में, पर्यावरणीय विकास में, प्राकृतिक विकास में, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में भागीदार बनाना है । एक विशेष रक्षा नीति का हम प्रयोग करना चाहते हैं । चोटी से ले कर घाटी तक, चाहे सीढ़ीनुमा खेत हैं, चाहे गांवों के अपने वन हैं और चाहे राजकीय वन हैं, सरकारी वन हैं, चाहे वे खाली पड़े हुए हैं चट्टान वाले हैं या किसी भी प्रकार के हैं, जो बिना पेड़ के भी हैं, पथरीली भूमि भी चाहे क्यों न हो, हम चट्टान से ले कर खेत तक का, वनों का, रक्षण का, चरागाहों का, पर्यटन का सभी विकास चाहते हैं, समग्र योजना इनके विकास की बनाना चाहते हैं । यह नहीं है कि केवल वन की योजना ही हम बना रहे हैं । पर्यटन, भूमि रक्षण, वन संरक्षण आदि की संपूर्ण योजना हमें पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की बनानी होगी । त्रिमुखी विकास करना होगा ।

अब पुरानी रण-नीति हमारे दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं । हमें यह देखना हो गया कि वहां पर किस प्रकार से बरसात के कारण भूमि बह जाती है, भूमि का कटाव हो जाता है, बाढ़ आती है, वह किस प्रकार रुके ? हमारी माता-बहिनों को किस प्रकार लकड़ी लानी पड़ती है ? जहां वनों के कटाव की बात कही गई है, वहां यह भी मानना होगा कि सबसे बड़ी समस्या ईंधन की है । हमारी माताएं-बहिनें किस प्रकार से नीचे घाटियों से ऊंची चोटियों पर मीलों पैदल चलकर लकड़ी का गट्ठा ईंधन के लिये लाती हैं, किस प्रकार वह मीलों से पानी लाती हैं ? हमें इन समस्याओं का भी हल निकालना होगा ।

वन संरक्षण की आवश्यकता है, एक तरफ हमें वनों के बनाये रखने की आवश्यकता है और दूसरी तरफ हमारी ईंधन की भी आवश्यकता है । हमारे सारे देश के विकास के लिये भी आज लकड़ी की आवश्यकता है । इमारती लकड़ी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता । यह देखना होगा कि हमारे कंट्री की टिम्बर की कितनी रिक्वायरमैंट है, उसी के अनुसार हमें वनों का विकास करना होगा जिससे एक ओर वन बढ़ते रहें, वनों का संरक्षण होता रहे और कहीं वनों की सम्पत्ति का शोषण न हो, उसका सदुपयोग हो ।

हमारी वन-नीति का मुख्य आधार होना चाहिये कि इस प्रकार से हमारे वन विकसित हों, हमारे जंगलों का इस प्रकार विकास हो कि जहां जंगलों का औसत सुरक्षित रहे वहां हमें यह भी देखना होगा कि हम अपनी टिम्बर की रिक्वायरमैंट को पूरा करने के लिये लकड़ी के सलीपर कहां से लायेंगे ? आज लाखों मकान देश में बन रहे हैं उनके लिये

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कहां से लकड़ी लायेंगे ? इसके लिये हमें कुछ न कुछ संतुलन लाना होगा और वनों की रक्षा भी करनी होगी और उनके शोषण को भी रोकना होगा ।

इसके लिये हमारी राज्य सरकारों का बड़ा दायित्व है । राज्य सरकारें हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लिये योजनाएं बना रही हैं । हम यह सारा कार्य यहां योजना आयोग में नहीं कर सकते हैं । हम चाहें भी तो भी इतना केन्द्रीयभूत नियोजन नहीं कर सकते । इतना केन्द्रीयकरण योजना का संभव नहीं है । मेघालय की योजना मेघालय में बनेगी अरुणाचल की योजना अरुणाचल में बनानी होंगी । आलोंग, आलिनी, कामैंग, सुबंसरी और सियोंग, अरुणाचल इन घाटियों में क्या होना चाहिये, यह वहां की, ईटानगर की, विधान-सभा को तय करना होगा । यह बात सही है कि सम्मानित संसद्-सदस्यों के अनुभव का भी उन्हें पूरा सहयोग प्राप्त करना होगा, वहां की सरकारों को और योजना आयोग को ।

पश्चिमी घाट की समस्याएं हैं, कोंकण से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसकी अपनी बहुत समस्याएं हैं । कोंकण को ले लीजिये वहां कितनी समस्याएं हैं । योजना आयोग ने कोंकण के बारे में विशेष अध्ययन के लिये एक दल बैठाया जिसके संयोजक डाक्टर स्वामीनाथन थे । गोआ के क्षेत्र के लिये विशेष दल बनाया, केरल और तमिलनाडु की बात चल रही है ।

नीलगिरि का पिछले वर्षों में किस प्रकार से विकास हुआ है । आज नीलगिरि का विकास, ऊटकमंड क्षेत्र का विकास एक उदाहरण है देश के सम्मुख, लेकिन बहुत कुछ काम पश्चिमी घाट के बारे में करना है । उसके लिये हमने एक विशेष अथौरिटी बनाई है, विशेष परिमंडल का निर्माण किया है जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हैं । जितने दक्षिण राज्यों के—

All the Chief Ministers of the Southern States concerning the Western Ghats are the members of this Authority. The secretariat of this Western Ghats Development Authority is in the Planning Commission.

इस प्रकार जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, उनके विशेष विकास के लिये हमने प्रयास किया है । इसी प्रकार नार्थ ईस्ट काउंसिल की अपनी समस्याएं हैं । झूमिंग कितनी बड़ी समस्या है । अलग पहाड़ों का अपने विकास का इतिहास है । मैंने पहले भी कहा था कि आज झूमिंग हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू-काश्मीर में नहीं है, उत्तरप्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र गढ़वाल और कुमाऊं में नहीं है, दार्जलिंग में नहीं है, सिक्किम में नहीं है लेकिन अगर मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल और मणिपुर में जायें तो इन क्षेत्रों में झूमिंग की समस्या बड़े पैमाने पर है । वहां पर रैवेन्यु विलेज, माल का गांव सही अर्थों मे नहीं है । एक जगह एक साल जंगल काटे, लकड़ी जलाई और दूसरी बार 5 मील दूर जंगल काटे और आग लगाई । फिर खेती की थोड़े समय के लिए, और फिर दूसरे पहाड़ पर चले गए । ऐसी चलायमान अस्थिर खेती को ही 'झूमिंग कहते हैं । अभी हाल में मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला । मैंने देखा कि चारों तरफ धुआं उड़ रहा था और बड़े बड़े पेड़ काट रहे थे । लेकिन वहां जनसंख्या का उतना दबाव नहीं है । अरुणाचल प्रदेश में आज सब से कम जनसंख्या है, लेकिन जंगल और वन सब से अधिक हैं । उनको लगता है कि वन इतने ज्यादा हैं कि उनका क्या करें । मगर यह तो वहां के निवासियों की दृष्टि है । अगर राष्ट्र की दृष्टि से देखें, तो वन हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, वे हमारी सम्पत्ति हैं । वहां के रहने वाले समझते है कि वन हमारे लिए मुसीबत हैं । उनको वन ही वन ही वन दिखाई देते हैं और इस लिए वे वनों को काटना अपना अधिकार समझते हैं । कहते हैं कि हम झूमिंग क्यों न करें । झूमिंग को

हम यहां से वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या वहां के नागरिकों की दृष्टि से यह एक पेचीदा प्रश्न है। इनका आपस में समन्वय कैसे हो, ताकि वे नियोजन को अपना शत्रु भी न समझें। वे अपने आप स्वयं नियोजन करें, जो राष्ट्र के नियोजन का भाग बने। हमे समष्टि और व्यष्टि का संतुलन करना है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण और व्यक्तिगत दृष्टिकोण में समन्वय करना है There has to be a balance between the national perspective and the perspective of the individuals concerned in these remote hill areas. यह बैलेंस, संतुलन, लाना आज प्लानिंग का सब से बड़ा चैलेंज है। इस बीच में मेरी पर्वतीय मुख्य मंत्रियों से कई बार बातचीत हुई। तीन तीन बार मुझे मुख्य मंत्रियों से बातचीत करने का सौभाग्य हुआ कि झूमिंग का नियंत्रण कैसे हो। All the political parties in the country and in the north-eastern region should be united to consider that in what manner we should have a proper control on these jhuming operations. Somehow we should persuade our tribal friends to stop jhuming and shifting cultivation and lead a rehabilated and full-fledged village life. लेकिन यह बहुत कम हो पाया है। शुरुआत हुई है, लेकिन अभी ठोस प्रगति नहीं हो पायी है।

नार्थ-ईस्टन कौंसिल के सामने वहां की विशेष समस्यायें हैं। गवर्नर वहां के चेयरमैन हैं और चीफ मिनिस्टर्स उसके सदस्य हैं। इसी प्रकार एक कैबिनेट कमेटी बनी हुई है, जो जम्मू-काश्मीर की समस्याओं को देखती है। इसके अलावा राज्य सरकारें हैं। इंस्टीट्यूशन्ज, संस्थाओं की कमी नहीं है। यह बात नहीं है कि योजनाओं के बारे में सोचने वाले कम लोग हैं। श्री पराशर जैसे विद्वान तमाम लोग हैं, शासन और अधिकारी मौजूद हैं। कभी कभी लगता है कि हम बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। योजनायें बहुत बन चुकी हैं। उनको लागू कैसे किया जाये, सब से बड़ी समस्या यह प्रतीत होती है। अभी जब मैं मणिपुर गया, तो एक प्रमुख अधिकारी ने कहा कि योजना मंत्री जी, आपने हमें बहुत धन दिया है, उसे खर्च कैसे करें, यह सब से बड़ी समस्या है। सब से बड़ी समस्या मैटीरियल प्लानिंग की है—हम योजनानुसार सामान ले कर सही ढंग से उसका उपयोग कैसे कर सकें? इस सदन से मेरा आग्रह है कि अभी तक हम जो संस्थायें बना चुके हैं, जो ढांचा हमने खड़ा किया है, अगर हम उनका ही सदुपयोग कर सकें, तो यह बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। पर्वतीय राज्यों व क्षेत्रों के लिए हमने चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की जो छठी योजना बनाई है, हम उसको लागू कर सकें, यह बहुत बड़ी सफलता होगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): अरावली पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी: अरावली के सौन्दर्य का आपसे ज्यादा सुन्दर वर्णन कौन कर सकता है?

श्री गिरधारी लाल व्यास: मंत्री महोदय कुछ मदद करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी: हमारे राजस्थान के आधुनिक निर्माता अनेक सम्मानित सदस्य यहां बैठे हुए हैं। उनको वहां की योजना का अनुभव है। यह राजस्थान शासन पर दायित्व है कि वह डेजर्ट डेवलेपमेंट पर कितना खर्च करे और अपने पर्वतीय क्षेत्रों पर कितना खर्च करें।

श्री हरिनाथ मिश्र (दरभंगा) मुख्य मंत्री महोदय के नाम को भी देखें और तब विचार करे *पहाड़ और पहाड़िया।*

श्री नारायण दत्त तिवारी: माननीय सदस्यों ने अलग अलग इतने अधिक सुझाव दिये हैं कि मेरे पास प्रत्येक सदस्य के द्वारा दिये गये सुझाव के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

लेकिन उतने विस्तार से सदन का समय इस समय में लूं यह शोभा नहीं देता।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हम ने तो एक बात कही थी कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो माईनिंग एरिया है उस के ऊपर बेस्ट जो इंडस्ट्री लग सकती है उसके सम्बन्ध में आप कुछ मदद कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : हां, जो उद्योग लगाने की बात हमारे विद्वान सदस्य व्यास जी ने कही, उन्होंने विशेषकर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को लेकर सीमेंट को फैक्ट्री लगाने की बात कही थी . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: If Shri Vyas is present in the House, you must say something about Rajasthan.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: Of course, I am doing the needful. तो सीमेंट की फैक्ट्री या जिंक की फक्ट्री जो कुछ भी छठी योजना में उस के लिए प्रयास किया गया है वह तो है ही, हमारी यह भी चेष्टा है कि न केवल पब्लिक सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी अधिक से अधिक सीमेंट की फैक्ट्री वहां लग सके, यह हमारा प्रयास होगा। इसीलिए रेलवे लाइन भी वहां बनायी जा रही है और इस सम्बन्ध में मैं राजस्थान के सम्मानित सदस्य को अलग से आमंत्रित करूंगा तथा उन के सुझावों से अपने को लाभांवित करने का प्रयास करूंगा।

हमारे विद्वान सदस्यों ने तीन बुनियादी, आधारभूत बातें उठायीं। एक तो यह कि क्या पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मान दंड वही है जो देश के दूसरे भागों के लिए है? मेरी सूचना के अनुसार उस के लिए मानदंड भिन्न हैं। जैसे डाकघर खोलने के लिए देश में और जगह दो हजार की जनसंख्या का मानदंड रखा गया है कि 2 हजार की जनसंख्या पर पोस्ट आफिस खोलते हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के लिए केवल एक हजार की जनसंख्या और वह अलग अलग क्षेत्रों में बिखरी हुई हो तो भी उस को आधार माना जाता है पोस्ट आफिस वहां खोलने के लिए। कितना रुपया उस से प्राप्त होगा इस के लिए और जगह 25 प्रतिशत है तो वहां दस प्रतिशत रखा गया है। केवल दस प्रतिशत कीमत का मूल्यांकन यहां के लिए रखा गया है।

इसी प्रकार टलिफोन खोलने के लिए भी आधी जनसंख्या रखी गयी है, 2500 की जनसंख्या पर पर्वतीय क्षेत्र में टेलीफोन लगाने की बात रखी गई है जब कि दूसरे स्थानों पर 5 हजार या उससे अधिक मानदंड रखा गया है।

इसी प्रकार से प्राइमरी हैल्थ सेंटर में भी है। उस का सब सेंटर खोलने के लिए और जगह 5 हजार को जनसंख्या का मानदंड है जब कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 3 हजार है और प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोलने के लिए 50 हजार दूसरे क्षेत्रों के लिए है तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 20 हजार की जनसंख्या का मानदंड रखा गया है। इसी प्रकार से बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए और सड़कों के निर्माण के लिए, प्रत्येक चीज के लिए मानदंड भिन्न भिन्न है।

रेलवे के बारे में जो बात कही गई, नंगल तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में अभी हाल ही में एक प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री जी ने कहा था कि इस का सर्वे दोबारा किया गया है और उस का जो प्राक्कलन है उस पर रेल मंत्री जी इस समय विचार कर रहे हैं।

MR. DEUTY-SPEAKER: Mr. Tiwari, you have got to conclude because Prof. Parashar has got to reply and then, Shri Tayyab Hussain has also got to move his Resolution. You can continue. Prof. Parashar, how much time will you take?

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: I shall take ten minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can continue for another five or ten minutes.

श्री नारायण दत्त तिवारी : तो मैं उन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बात पर

रेल मंत्रालय ने योजना आयोग को लिखा है कि कुछ लाइनों के लिये विशेष धन का प्रावधान करने की व्यवस्था की जाय छठीं योजना में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान रेलों के लिए किया गया है अब रेलवे मंत्रालय इस की प्राथमिकता निश्चत कर चुका है लेकिन रेल मंत्री जी से योजना आयोग में जल्दी ही हमारी बैठक होने जा रही है । वित्त मंत्री जी से भी परामर्श होगा । उस में नई रेलवे लाइनें जिस में न केवल नंगल तलवाड़ा रेलवे लाइन ही शामिल है बल्कि नयी रेलवे लाइनें जो देश में बननी आवश्यक हैं उन के लिए धन कैसे जुटाया जाय इस पर विचार किया जायगा और जो हमारा मध्य वार्षिक मूल्यांकन होता है स्कीमस का उस में हम इस सम्बन्ध में विचार करेंगे जैसा रेल मंत्री जी आश्वस्त कर चुके हैं विद्वान सदस्य को, उन के द्वारा प्रस्तुत जो हिमाचल प्रदेश की रेलवे लाइन है इस पर वह विचार कर रहे हैं

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा): उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी बता दीजिए

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं अपने विद्वान युवा सदस्य का आभारी हूं...व्यवधान... बरेली काटगोदाम रेलवे लाईन के निर्माण हेतु सर्वे का प्रावधान भी बजट में किया गया है । वहां की रेलवे लाइनों के बारे में बजट में प्रावधान किया गया है और इसके लिए मैं अलग से परामर्श करना चाहूंगा ।

श्री प्रो० गुलजार सिंह: (अलैसर) मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कुमाऊं डिवीजन का जो पर्वतीय क्षेत्र है वह आपका ही क्षेत्र है वहां सन 1928 में रेलवे लाइन का सर्वे नैनाल तक अंग्रेजों ने कराया था लेकिन उसके लिए आजतक कोई योजना नहीं बनी यद्यपि आप योजना मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं आपने यह कहा कि मुख्य मंत्री और स्टेट गवर्नमेंटस् ध्यान नहीं देती हैं हम ध्यान देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री आप भी रहे, बहुगुणा जी भी रहे और पन्तजी भी रहे परन्तु पहाड़ी क्षेत्र आज भी पिछड़े हुए हैं । इस समय त्रिपाठी जी भी यहां पर बैठे हुए हैं । मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा बुरी हालत टेहरी गढ़वाल नैनीताल क्षेत्रों की है । सन 1928 में अंग्रेजों ने रेलवे लाइन का सर्वे करवाया था लेकिन उसकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं विद्वान सदस्य का बड़ा अनुग्रहीत हूं कि उन्हें मेरे क्षेत्र की मुझसे भी ज्यादा चिन्ता है इसके लिए मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं ।

अभी कुछ समय पूर्व मैं यह निवेदन कर रहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वही मान दंड नहीं हो सकते हैं जो कि दूसरे क्षेत्रों के लिए हो सकते हैं मैदान और पर्वतीय क्षेत्र के आकार प्रकार भिन्न होते हैं । जो राज्य केवल पर्वतीय हो हैं वहां तो सारे मान दंड पर्वतीय क्षेत्र के ही होंगे । जैसे जम्मू कश्मीर है उसका 90 प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय है, इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश है वहां तो पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर ही मान दंड बनेंगे । मान दंड के सम्बन्धों में भी हम अवश्य पर्वतीय क्षेत्रों के संसदसदस्यों से व्यक्तिगत परिचर्चा करेंगे और इस सम्बन्ध में हम उनके बहुमूल्य सुझाव और सलाह लेना चाहेंगे ।

विद्वान सदस्य महोदय ने एक बात यह कही कि प्लानिंग कमीशन में एक हिल-सेल बनना चाहिए । उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उनके इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है और प्लानिंग कमीशन में हिल-सेल बनाया जा रहा है पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक कमीटी आफ डायरेक्शन भी बनाने की बात विचाराधीन है जिसके लिए प्रधान मंत्री जी से मार्गनिर्देश लिया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : आप अपने घर वालों को जवाब दे रहे हैं, चौधरी मुलतान सिंह का आप ने शुक्रिया भी अदा नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं पहले ही उन का आभार प्रकट कर चुका हूं। वे तो गोवर्धन पहाड़ की गरिमा के साक्षात प्रतीक हैं।

एक आग्रह मैं और करना चाहूंगा। विद्वान सदस्य ने अपने प्रस्ताव में पांच वर्षों का उल्लेख किया है, पांच वर्षों में पर्वतीय क्षेत्रों को देश के दूसरे भागों के अनुरूप ले आने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। मैं समझता हूं विद्वान सदस्य स्वयं इस बात से सहमत होंगे कि यह अवधि उतनी व्यावहारिक नहीं है जैसी कि उन्होंनें रख दी है। मूल कठिनाई इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में यही है। विद्वान सदस्य चाहते हैं कि देश के दूसरे विकसित भागों के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्रों का विकास सम्पन्न केवल पांच वर्षों में हो सके,, इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए संसदीय समिति का गठन किया जाए यही उन का प्रस्ताव है।

एक बात और भी है। संसदीय समितियों का का अपना एक महत्व होता है। यहां पर पार्लियामेंटरी पद्धति की प्रक्रिया के मारखी बैठे हैं, मैं तो केवल एक विद्यार्थी हूं संसदीय प्रक्रिया की पद्धति में संसदीय समिति कब बनाई जाये, किस संदर्भ में बनाई जाये, हमारा पार्लियामेन्टरी इतिहास जो है वह इस के उदाहरणों से भरा हुआ है। श्रीमन्, एक ऐसे विषय को ले कर जो कि योजना से संबंधित है, अगर हम एक संसदीय समिति बनाते हैं तो फिर हमें इस प्रकार की अनेक संसदीय समितियों का निर्माण करना होगा जो देश के भिन्न-भिन्न भागों से संबंधित हैं। अभी जैसा बताया कि राजस्थान का प्रश्न है, अलग-अलग प्रश्न अलग-अलग क्षेत्रों के हो सकते हैं, तो फिर अनेक प्रकार की क्षेत्रीय संसदीय समितियों का गठन इस संसद को करना होगा। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए संसदीय समिति का निर्माण करते हैं, पार्लियामेंटरी कमेटी का निर्माण करते हैं, गठन करते हैं, तो फिर हमें इस प्रकार की अन्य राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने के लिए भी पार्लियामेंटरी कमेटीज का गठन करना होगा। भिन्न भिन्न पार्लियामेंटरी कमेटीज आज भी अपने विभागों पर विचार करती है, वह पहले से ही विभिन्न विभागों के दृष्टिकोण से सारे देश की पृष्ठ भूमि में *स्थायी समितियों के रूप में कार्य कर रही हैं।* फिर राज्यों में भी विभिन्न विधान मंडलों की कमेटियां हैं और जहां पर्वतीय राज्य है, वहां की से सारी कमेटियां केवल पर्वतीय विकास की ओर ध्यान देने के लिए हैं। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में एक आधार-भूत कठिनाई है, बुनियादी कठिनाई यह है कि संसदीय समिति के निर्माण की जो व्यावहारिक परिधि है, वह प्रस्ताव उस से परे प्रतीत होता है।

श्रीमान्, इसलिए मैं आप के माध्यम से जहां विद्वान प्रस्तावक महोदय की भावना का आदर करता हूं और उन विद्वान सदस्यों क भी आदर करता हूं जिन्हों ने उन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए संसदीय समिति के गठन की बात कही, वहां यह जो आधारभूत कठिनाई है, उस की ओर भी आप का ध्यान आकर्षित करना मैं आपना संसदीय कर्तव्य समझता हूं।

श्रीमान्, मैं उन से विनीत आग्रह करूंगा कि वे कृपा कर के अपना प्रस्ताव वापस ले लें। उनकी जो आधारभूत बातें थीं, जो सुझाव थे उन को हम ने मान्यता दी है। उन के प्रस्ताव को जो आत्मा है, उस आत्मा की आत्मीयता को स्वीकार किया है, इसलिए मेरा उन से आग्रह है कि वे प्रस्ताव के पारण पर अधिक बल न दें। इद शब्दों के साथ मैं फिर सभी माननीय सदस्यों के प्रति और आप के प्रति अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस प्रकार निवेदन का अवसर दिया।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष जी, कई दिनों तक लगातार तीन शुक्रवार से इस प्रस्ताव पर बहस हुई और 25 के करीब संसद सदस्यों ने, जो कि सभी पार्टियों से संबंधित हैं, इस प्रस्ताव का समर्थन किया मैंने गौर से देखा है कि 15 राज्यों के सभी राजनैतिक दलों के विभिन्न संसद सदस्यों ने इसमें भाग लिया और उस में एक भी संसद सदस्य ने इस का स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया। इतना भारी कन्सेंसस इस प्रस्ताव के पक्ष में डेवलप हुआ—इसलिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं—

कुछ बातें जो माननीय योजना मंत्री और संसद सदस्यों ने कहीं हैं, उनकी तरफ मैं जरा इशारा करना चाहूंगा। बहुत से सदस्यों ने यह कहा कि पर्वतीय प्रदेशों के विकास के साथ लोगों के कल्याण की बातें जुड़ी होनी चाहियें और यह प्रस्ताव की भावना से संबंधित हैं और मैंने इसको ऐसा ही समझा था। क्योंकि इसके बिना वहां का विकास कुछ नहीं होगा। जैसा मैंने पहले भी प्रस्ताव के प्रस्तुत करते समय यह बात कही थी कि भाखड़ा के बांध से बिजली भारत के दूसरे प्रदेशों को मिली, लेकिन भाखड़ा ग्राम पंचायत अंधेरे में रही और जब माननीय श्री के० एल० राव ने वहां की हालत को देखा तो उन की आंखों से भी आंसू निकले कि यह अन्याय हो गया यह बात 1974 की है। यह बात उन्होंने गोबिन्द सागर के किनारे कहीं थी कि भाखड़ा को बिजली तो दूर तक पहुंच गई लेकिन भाखड़ा के लोग अंधेरे में ही लड़खड़ाते रहे। माननोय सदस्यों ने इसके साथ साथ भूमि सुधार की बातें कहीं और कुछ दूसरी बातें भी कहीं लेकिन एक बात जो विशेष रुप से इस परिचर्चा उभरी वह यह कि सारी पंचवर्षीय योजनाओं के अध्ययन से स्पष्ट रूप से जो तथ्य निखरकर सामने आता है। वह यह है कि जहां पर माननीय मंत्री जी ने बताया कि परियोजनाओं के आधार पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भिन्न हैं और दूसरे क्षेत्रों के लिए भिन्न है वहां उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन सी रेलवे लाइन ऐसी हैं, जो भिन्न आधार पर स्वीकृत और निर्मित हो चुकी है। आज हिन्दुस्तान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक भी रेलवे लाइन इस भिन्न आधार पर नहीं बनी, न आपके उतर प्रदेश में और न हिमाचल प्रदेश में। स्व० श्री ललित नारायण मिश्र जी को को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने 1973 में जब पहली बार रेलवे बजट पेश किया तो घोषणा की कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिये वे मापदण्ड नहीं माने जायेंगे जोकि अन्य क्षेत्रों के लिये हैं। वे तो घोषणा कर के चले गये, उनके बाद त्रिपाठी जी ने भी उस पर जोर दिया, परन्तु उन के बाद जो सरकार आई उस ने कुछ डिलमिल नीति से काम लिया, जिसका परिणाम है कि आज तक कोई भी नई रेल-लाइन पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं बन सकी।

जब मैंने यह प्रस्ताव यहां पर रखा था, उस समय मेरे मन में एक पीड़ा थी कि काश्मीर हिमाचल से लेकर पूर्वी क्षेत्र में मीजोराम और अरुणाचल प्रदेश तक, जहां दोनों तरफ चीन लगता है, कहीं भी रेलवे लाइन की सुविधा नहीं है। हमारे जवान जो हमारे पर्वतों की रखवाली करते हैं, अगर उन को अरुणाचल से गढ़वाल या हिमाचल जाना पड़े तो उस को रेलवे लाइन की कोई सुविधा नहीं मिलती। इस लिये यह किसी एक प्रदेश का प्रश्न नहीं है समग्र देश को दृष्टि में रख कर हमें इस पर विचार करना

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

होगा। रेलवे बोर्ड की इस उक्ति को भी बदलना पड़ेगा—जो उस में फाइनेन्शल कैलकुलस रखा है कि उस में घाटे के बजाय नफा होना चाहिये, तो नफा तो बाद में होता है, शुरु में तो कुछ घाटा ही होता है।

एक बात यहां पर मैं और कह देना चाहता हूं — देश का व्यापारी वर्ग भी इस बात पर बजिद है कि मैदानी इलाके के मुकाबले पहाड़ पीछे रहें। इस बात को आप मानें या न मानें, लेकिन हिन्दुस्तान के विकास के इतिहास में यह दुखद सत्य है कि जब भी विकास की बात आती है। तो पर्वतीय प्रदेशों का गला घोटने के लिए मैदानों के व्यापारी थैलियों का मुंह खोल देते हैं वे किस की तरफ जाती हैं मैं इशारा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि इस का अल्टीमेटली क्या नतीजा होता है? सारे-का-सारा क्षेत्र अविकसित रह जाता है।

आप ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 4102 करोड़ रुपये के आंकड़े दिये हैं, ये आंकड़े सिर्फ उन विषयों के लिये हैं, जिन को आप संविधान की राज्य-सूची कहते हैं। केन्द्रीय सूची के कार्यों के लिये भी आप हमें बताते तो ज्यादा अच्छा होता, रेलवे विभाग के लिये इतना है, पी० एण्ड टी० विभाग के लिए इतना है। आज भी एक डाकघर को अप-ग्रेड करने के लिये 5 घण्टे का वर्क लोड माना जाता है, जो पंजाब के लिये है, वही हिमाचल के लिये है। टेलीफोन एक्सचेन्ज खोलना है तो 20 कनैक्शन्ज की लिमिट है, पंजाब के लिये भी यही है और हिमाचल के लिये भी वही है। नतीजा क्या होता है—जब एक छोटा डाकघर हिमाचल में खोला जाता है और उस के अपग्रेड करने की बात आती है, तारघर खोलने की बात आती है टेलीफोन एक्सचेन्ज खोलने की बात आती है या टेलीफोन की 24 घण्टे सुविधा देने की बात आती है या फौजी जवान को पैन्शन भेजने की बात आती है — तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिये भी वही मापदण्ड होते हैं जो मैदानी क्षेत्रों के लिये होते हैं। ब्रांच पोस्ट आफिस से सब-पोस्ट-आफिस, सब-पोस्ट-आफिस से हैड-पोस्ट-आफिस, तार सब-डिवीज से विभागीय डिवीजन, टेलीफोन एक्सचेन्ज और टेलीग्राफ आफिस इन सब के लिये डाकतार विभाग में वही मापदण्ड हैं जो कि मैदानी इलाकों के लिए हैं।

यह खुशी की बात है कि छठी पंच वर्षीय योजना में आप ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिये एक अलग से चैप्टर रखा है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप इन सब विभागों के लिये—रेलवे, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ और बैंकों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिये आप का आधार भिन्न होना चाहिये, न सिर्फ खोलने के लिये, बल्कि उन का दर्जा बढ़ाने के लिये भी। मुझे यह कहते हुए दुख होता है—बड़े-बड़े शहरों में यदि एक्सचेन्ज खोलना होता है, तो वहां पर रुपये वाले सरमायेदार बैठे होते हैं वे तुरन्त कनैक्शन ले सकते हैं, लेकिन किसी गांव में यदि तार देना है तो उसे 5 मील तक पैदल चल कर पहुंचना पड़ता है। आज भी जो आप के कैटेगरी स्टेशन्ज हैं वे वहां पर होते हैं जहां से टेलीफोन-एक्सचेन्ज 40 किलोमीटर दूर होता है। यह परिभाषा टेलीफोन विभाग की ओर से दी गई है, अब 40 किलोमीटर कितना होता है, पहाड़ी क्षेत्र में उस का अनुमान लगाइये, कितनी नदियां और पहाड़ बीच में आते हैं। ये कुछ ऐसी

कठिनाइयां हैं जो बेसिक हैं, ये तमिलनाडु में भी हैं वेस्टर्न-घाट्स में भी भी हैं हिमाचल में भी हैं अरुणाचल प्रदेश में भी हैं।

यही स्थिति बैंकों की है। आप 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर बैंक की शाखा प्रोवाइड करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में तो इस दूरी में तीन नदियां आ जायेंगी। इस लिये मेरा अनुरोध है कि इस आधार को बदलना चाहिये जिस से कि जो विकास रुका पड़ा है, पहाड़ों के फुट हिल्स से, जहां मैदान खत्म होते हैं वहीं से विकास की रेखा खत्म हो जाती है वह विभाग आगे बढ़ सके। आप ने अन्य आंकड़े भी दिये हैं। मैं बहुत आभारी हूं, पांचवीं-पंचवर्षीय योजना के मुकाबले छठी पंचवर्षीय योजना में बड़ा भारी काम आप ने अपने सामने रखा है। उसकी एक रूपरेखा आप ने दी है। लेकिन मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं—हिमाचल प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके हों, कांस्टीचुशनल संस्थायें तो हैं लेकिन इन सब से ज्यादा महत्व उस गरीब की किस्मत बनाने का है जो बरसों से बैठा हुआ नई दिल्ली की तरफ देख रहा है। जब पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने पहली पंचवर्षीय योजना शुरु की थी तो उस ने आशा की थी कि उन से पहाड़ी क्षेत्रों को भी चाहे हिमाचल हो, काश्मीर हो या पूर्वी क्षेत्र हों, उन को भी कुछ मिलेगा। जब श्री सुभाष चन्द्र बोस ने प्लानिंग कमेटी 1938 में स्थापित की थी तब से वह उम्मीद लगाये बैठा है कि उस को भी कुछ मिलेगा और वे आशायें आज भी उसी तरह कायम हैं, लेकिन मुझे दुख है कि उस की आशायें पूरी नहीं हुई। आज भी कोई इण्डस्ट्री हिमाचल को नहीं मिली। मैं जब मणिपुर गया था, पूर्वी क्षेत्र में गया था, तो वहां के लोगों ने मुझ से कहा कि हमारी लकड़ी कलकत्ता चली जा रही है और वहां से कुर्सियां बन कर यहां आती हैं। तो पहाड़ का जो शोषण है, दोहन है, यह खत्म होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि इस समय योजना आयोग की बागडोर आप के हाथ में है और आप पर्वतीय क्षेत्रों की पीड़ा को समझते हैं। पर्वतों की पीड़ा किसी रूप में आप के लिए सहायक हो सकती है।

मैंने अपने भाषण में शुरू में कहा था कि पर्वतों से बहुत ज्यादा वीर सेना में गये और देश की रक्षा के लिए वे शहीद हो गये। 5167 आज सारे हिन्दुस्तान में वीर नारियों की संख्या है। वीर नारी, उन को कहते हैं जो विधवा हो जाती है और जिन के पतिदेव देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं। आप आंकड़े देख लीजिए। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में डिफेन्स मिनिस्टर साहब ने बताया है कि सब से ज्यादा वीर नारियां पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। कुर्बानी करने वाले हैं पर्वतीय क्षेत्र, देश की रक्षा के लिए भी और देश के विकास के लिए भी सब से ज्यादा मरने वाले हैं पर्वतीय क्षेत्र के लोग और सब से ज्यादा लूटने वाले हैं मैदानी इलाके के लोग। यह कब तक चलेगा? अब यह नहीं चल सकता। अब यह जमाना नहीं रहा। हम इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पर्वतीय क्षेत्र मैदानी लोगों के आकर्षण के लिए हैं, उन के आराम के लिए हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: One main thing is that you can provide jobs to all the people in the hilly areas by constructing the railway lines.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: That is what I was saying that we have to change this attitude

[प्रो नारायण चन्द्र पराशर]

यह जो हिल्ली प्लेसेज हैं they are not only source of attraction and places of pilgrimage; there also the human being live, वहां पर भी लोग रहते हैं और उनके लिए भी विकास के कार्य होने चाहिए। आप आंकड़े किसी और समय बता दीजिए कि कितनी इंडस्ट्रीज वहां पर खुली हैं। वहां पर कोई इंडस्ट्री नजर नहीं आती। इसलिए वहां पर जो लोकल रा-मैटीरियल है, उस पर बेस्ड इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिएं। वहां के चूने के पत्थर से पंजाब व हरियाणा के मैदानी इलाकों में सीमेंट बनता है और वहां की लकड़ी से देहरादून में सामान बनने के बजाए, सहारनपुर में वह बनता है। हम यह चाहते हैं कि वहां की लकड़ी से, वहां के पत्थरों से और बाकी जो चीजें वहां पर हैं उन पर आधारित उद्योग वहीं पर लगें और जो लोकेली अवेलेबिल मैटीरियल हैं, वे वहां से बाहर न जाएं। उन मे पर्वतीय क्षेत्रों में ही इंडस्ट्री लगे ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले, एम्पलायमेंट मिले।

मैं माननीय योजना मंत्री का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कारोबार संभालते ही एक नई दिशा दी और 25वां अध्याय छठी प्लान में जोड़ दिया। वह जो 25वां अध्याय है, उस को मैंने सारा पढ़ लिया है। उसमें एक बहुत ही मजेदार बात जो मुझे जंची, जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है, वह यह है कि इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवेलपमेंट और बेनीफिशयरी ओरियेन्टेड डेवलपमेंट एक संतुलन बनाएंगे, एक संतुलन को कायम करेंगे और मुझे खुशी तो तब होगी जब माननीय मंत्री जी के द्वारा और बाकी केन्द्रीय विभागों द्वारा यह दिखा दिया जाएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में सिर्फ एक अध्याय ही अलग से नहीं लगा बल्कि कुछ रेलवे लाइनें भी बन गई, कुछ मापदंड बदल गये और वहां के लोगों को जो पीड़ा थी, वह मुस्कान में बदल गई। मेरा यह आशय नहीं था कि एक कमेटी जरूर बने। कमेटी बन सकती है और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जम्मू व काश्मीर विधान सभा ने अपने सारे राज्य के लिए विधायकों की एक समिति बनाई थी आल-राऊन्ड डेवलपमैंट देखने के लिए। जब वहां बन सकती है, तो यहां भी बन सकती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन सकती लेकिन हमें कमेटी से इतना मतलब नहीं है। हमें तो वहां के विकास से मतलब है, हमें तो काम से मतलब है और इस आश्वासन को देखते हुए, जो मंत्री जी ने दिया है और इस आशा के साथ कि छठी पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों की किस्मत सुधरेगी, मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is an amendment to the Resolution moved by Shri Mukunda Mandal. He is not present in the House. I shall now put his amendment to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER: Has the hon. Member, Prof Parashar leave of the House to withdraw his Resolution?

SOME HON. MEMBERS: No, no.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Resolution to the vote of the House.

The question is:

"This House urges upon the Government to set up a Parliamentary

Committee to look into the extremely slow pace of industrial development and lack of adequate infrastructure, like railway lines, roads, waterways, airways, bridges and other amenities like postal services, telecommunications, drinking water, banking and health services, institutions for technical and vocational education and the promotion of tourism, hydel-generation, forestry, agriculture including horticulture, irrigation, mass communication system in the hilly regions of the country, resulting in their extreme backwardness and to suggest ways and means to ensure their rapid economic development so as to bring them at par with the developed regions of the country within a period of five years."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Shri Atal Bhari Vajpayee will move his resolution.

He is absent.

17.50 hrs.

RESOLUTION RE: PREVENTION OF TARNISHING OF IMAGE OF MAHATAMA GANDHI

SHRI TYYAB HUSSAIN (Faridabad): Sir, I beg to move:

"This House recommends to the Government that any action by signs, words or publications to tarnish the image of Mahatama Gandhi, the Father of our Nation, be made a cognisable offence.

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह मामला बहुत अहमियत का है। जहां यह फादर आफ दि नेशन का मामला है वहां यह सारे मुल्क का भी मामला है। इस से यह बात सब के सामने आती है कि महात्मा गांधी का जंगे आजादी में जो रोल रहा वह हम सब के सामने है। उन्होंने हमारे मुल्क की आजादी हासिल की। हम लोगों ने उनकी कयादत में, उनकी अगुवाई में इस में हिस्सा लिया। उन्होंने जो परेशानियां और दिक्कतें उठायी वे हम सब लोगों के सामने हैं। उन्होंने जितनी कुर्बानियां दीं, उनके साथ हमारे देश के नेताओं पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, हमारे बहुत सारे शहीदों जैसे सरदार भगत सिंह आदि, कितनों का नाम लिया जाए, ने भी कुर्बानियां दीं और यह आजादी हासिल की। कांग्रेस पार्टी ने इस आजादी को हासिल करने में जो काम किया वह भी इस मुल्क के सामने है।

इस सिलसिले में हमें यह देखना है कि महात्मा गांधी ने जो जंगे आजादी में काम किया जिसके लिए उन्हें हम आजादी के बाद देश का पिता मानते हैं, यह कह कर उनका सम्मान करते हैं जो कि बहुत जरूरी है, उनके सम्मान में फर्क तो नहीं आ रहा है।

आपको याद होगा कि जब अहमदाबाद में ट्रायल हुआ और उसके बाद अंग्रेज सेशन जज ने जो फैसला दिया तो उसके साथ साथ उन्होंने अपना इस्तीफा भी सरकार को दिया। इस्तीफा देते हुए उस अंग्रेज सेशन जज ने ये अल्फाज कहे कि यह फैसला मुल्क के कानून की पालना तो करता है लेकिन मेरे जमीर पर चोट पहुंचाता है जब हमारे सामने ऐसे फैसले हैं, लोगों के ऐसे जजबात हैं तो हमें यह देखना है कि आज हम उनकी शान में क्या करने जा रहे हैं।

हमने उनकी शहादत में एक मेमोरियल कायम किया जिसको हम गांधी स्मृति कहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इस हाउस के एक फोरमर मेम्बर श्री शशि